<u>भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फाइल संख्या 07/03/2021-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 19.12.2022

<u>अधिसूचना</u>
<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

विषय: चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस स्टेपल फाइबर" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में सेसटेट रिमांड के मामले में अंतिम जांच परिणाम।

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "पाटनरोधी शुल्क नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "एएमएफआईआई" भी कहा गया है) ने चीन जन गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बंबू फाइबर, मोडल फाइबर, नॉन-वूवन फाइबर, फ्लेम रिटरडेंड फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर" को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में

निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की मांग करते हुए मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है तथा यह निर्धारित करने के लिए कि आगे की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22.02.2021 की अधिसूचना जारी की।

3. निर्णायक समीक्षा जांच के पूरा होने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अंतिम जांच परिणाम 7/03/2021-डीजीटीआर जारी किये जिसके अंतर्गत प्राधिकारी ने सिफारिश की कि पाटनरोधी शुल्क को आगे की अवधि के लिए जारी नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 44/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) जारी कर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया।

4. 31 जुलाई, 2021 के उपर्युक्त जांच परिणामों को घरेलू उद्योग द्वारा अधिनियम की धारा 9ग के तहत अपील में चुनौती दी गई थी। माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेसटेट) ने अंतिम जांच परिणामों की जांच की, और अपने आदेश 50436-50442/2022 के तहत निम्नानुसार माना:-

37. पाटनरोधी संख्या 3, 5 और 8 की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। न तो 1994 के करार के अनुच्छेद 11.3 और न ही प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के लिए पांच वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं। प्रति वर्ष शुल्क बढ़ाए जाने के लिए पूर्व-अपेक्षाएं, चाहे पांच वर्ष के लिए हों अथवा पांच वर्ष तक के लिए हों, समान हैं और वे ये हैं कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होनी चाहिए।

51. पाटनरोधी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि अनुबंध-II के पैरा (vii) में दी गई सूची संपूर्ण नहीं है। एसआई ग्रुप में अधिकरण ने यह भी पाया कि तीसरे देश की पाटन, अधिशेष क्षमता, भारतीय बाजार की निर्यात आकर्षकता, और संभावित विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले अन्य मानदंड निर्णायक समीक्षा के लिए संगत हैं।

52. यह याद रखने की आवश्यकता है कि "निर्णायक समीक्षा" में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति प्रारंभिक कार्य से भिन्न होती है जो यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है अथवा नहीं। किसी समीक्षा में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से घरेलू उद्योग को पाटन के साथ-साथ क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करना होगा।

53. इस संबंध में थाई ऐक्रेलिक फाइबर लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 14 में अधिकरण के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें यह पाया गया था:

> "13. मूल जांचों के विपरीत, निर्णायक समीक्षाएं संभावित प्रकृति की होती हैं, यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं तो वे पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस प्रश्न के संबंध में कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं तो क्या पाटन में होने की संभावना है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत आर्थिक तथ्यों पर विचार करना होगा जो यह संकेत दे सकते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है, तो पाटन की पुनरावृत्ति होगी। क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव पड़ा है, घरेलू उद्योग की स्थिति में उस अवधि के दौरान सुधार होने की उम्मीद की जाएगी जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। अतः, यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी, अथवा बार-बार होगी, का भविष्य की घटनाओं, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर एक प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण आवश्यक होगा। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान

करना होगा कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पुनः वास्तविक रूप से क्षति होने की संभावना है।

14. निर्णायक समीक्षा में संभावित निर्धारण की आवश्यकता होती है जिसमें पाटन का वर्तमान स्तर स्पष्ट रूप से उतना संगत नहीं है जितना कि पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने से होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान, पाटनरोधी शुल्क लागू रहेगा और इसलिए, पाटन का वर्तमान स्तर न के बराबर अथवा न्यूनतम हो सकता है। जांचाधीन निर्यातक इस अवधि के दौरान गैर-पाटित कीमत पर भी बिक्री कर सकते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि निर्णायक समीक्षा जारी रहेगी। इसलिए, धारा 9क(1) के तहत मानदंड कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए धारा, 9क(5) के तहत शुल्क को जारी रखने के लिए कोई व्यावहारिक आवेदन पत्र नहीं होगा। ऐसा करने के लिए उक्त धारा 9क(5) के तहत कानून में ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है।"
(जोर दिया गया)

54. ऋषिरूप पॉलिमर (प्रा.) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अपर सचिव में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"36. अन्यथा भी, हमारी राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच का क्षेत्र इस संतुष्टि तक सीमित है कि क्या इसके द्वारा प्राप्त सूचना पर इस तरह के शुल्क को जारी रखने का औचित्य है। इसकी प्रकृति से, समीक्षा जांच यह देखने के लिए सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि शुल्क को जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। क्षति सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन तक सीमित है। उक्त जांच विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित होनी चाहिए। संपूर्ण समीक्षा जांच का सम्पूर्ण प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है बल्कि यह देखना है कि क्या इस तरह की निरंतरता के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।"

55. एपीएआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 16 में, अधिनियम ने उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों का पालन किया और माना:

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है। उसे खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का औचित्य है और वह भी प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि अपनी प्रकृति से निर्णायक समीक्षा, यह देखने के लिए सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि अब शुल्क लगाने का औचित्य नहीं रह गया है अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि इस तरह के शुल्क को रद्द कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का आसन्न खतरा है। यह जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन तक सीमित है। निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि यह देखने के लिए की जाती है कि क्या ऐसे पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से पाटन बढ़ेगा और क्या घरेलू उद्योग को क्षति होगी।" (जोर दिया गया)

56. बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 17 में, अधिकरण ने नोट किया कि:

"10. क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव होता है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में उस अवधि के दौरान सुधार होने की आशा की जाती है जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। अतः, यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं के प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या घरेलू उद्योग को शुल्क हटाए जाने पर वास्तविक रूप के पुनः क्षति होने की संभावना है।"

57. मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और द यूनियन ऑफ इंडिया 18 में अधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"12. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों में स्पष्ट की गई निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य और प्रयोजन, स्पष्ट रूप से यह जांच करना है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने पर, घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की बार-बार होने की संभावना है। यह भी माना गया है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन की मात्रा और सीमा तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति अधिक संगत नहीं है।

13. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीटीए, 1975 की धारा 9क(5) और अनुबंध-II(vii) के तहत अधिदेश अथवा अपेक्षा यह है कि प्राधिकारी को वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाने पर पाटन और क्षति की संभावना सुनिश्चित करने से संबंधित संगत पहलुओं की जांच करनी है। यह स्पष्ट है कि इस तरह का निर्धारण एकमात्र अनुमान कार्य अथवा केवल अनुमान और अवधारणा पर आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अतीत और वर्तमान तथ्यों पर निर्भर करता है, जो पाटन की परिणामी क्षति, निष्पादन और अन्य संगत आर्थिक तथा घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य कारकों तथा घरेलू उद्योग को भविष्य में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावित स्थिति पर पहुँचने के लिए प्रभावित करते हैं। इस बात पर कोई विवाद अथवा झगड़ा नहीं है कि यह किसी ठोस सबूत के आधार पर होना चाहिए। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के हितों को हल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के बावजूद निर्णायक समीक्षा कार्यवाही पर भी लागू होती है।"

(जोर दिया गया)

58. उपर्युक्त चर्चा से जो सामने आता है कि वह यह है कि यद्यपि प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, लेकिन धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, केंद्र सरकार, किसी समीक्षा में, इस शुल्क को लगाए जाने की अवधि को अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, यदि केंद्र सरकार का यह मत है कि उस शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि यद्यपि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी होगा, लेकिन एक अपवाद निकाला

गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर इस जांच परिणाम पर पहुंचे कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 निर्णायक समीक्षाओं पर भी लागू होगा और पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। अनुबंध-II के खंड (vii) में यह प्रावधान है कि वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूरस्थ संभावना पर और यह कि परिस्थितियों में परिवर्तन जो ऐसी स्थिति पैदा करेंगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वाभास और आसन्न होनी चाहिए। 1994 के करार में भी इसका प्रावधान किया गया है। अतः, यह मानता है कि उपर्युक्त सांविधिक योजना के तहत, निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी/51490/2021 के लिए अधिदेशित किया गया है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित सभी तीन कारकों की एक कठोर जांच की जाती है:

(i) घरेलू उद्योग द्वारा एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे;
(ii) शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है; तथा
(iii) यदि शुल्क वापस ले लिये जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

59. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर क्षति की संभावना का पता तीसरे देशों को निर्यात की बिक्री कीमतों से लगाया जाना चाहिए जहां कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं इस तथ्य के रूप में पाया कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 50-60 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमतों पर है और इंडोनेशिया के मामले में पीटी एशिया पैसिफिक रेयॉन और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-90 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमत पर हैं। अत: अनुरोध यह है कि यद्यपि निर्दिष्ट

प्राधिकारी ने नोट किया कि तीसरे देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं, लेकिन वह स्पष्ट जांच परिणाम निकालने में विफल रहा कि शुल्क की समाप्ति पर, आयात तीसरे देश की निर्यात कीमतों पर भारत में आने की संभावना थी। जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरा 129 और 130 में निहित अंतिम जांच परिणामों से एक तालिका रखी और वह इस प्रकार है:

> *"129. संबद्ध देशों से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:*

विवरण	**तीसरे देशों को कुल निर्यात (मी. टन)**	**तीसरे देशों को एनआईपी से कम कीमतों पर निर्यात (मी. टन)**	**एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का %**	**एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का % (रेंज)**
सटेरी (फुज़ियान) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	50-60
पीटी एशिया प्रशांत रेयान	***	***	***	80-90
पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस	***	***	***	80-90

> *130. यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/ निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 50-60% एनआईपी से कम कीमतों पर है। इंडोनेशिया के मामले में, एपीआर और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-90% एनआईपी से कम कीमतों पर है।"*

60. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि अन्य बाजारों से भारत में निर्यात के विचलन की संभावना की जांच भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं पाया कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 55-65 प्रतिशत भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है और इंडोनेशिया के मामले में पीटी

एशिया पैसिफिक रेयन द्वारा तीसरे देशों को 65-75 प्रतिशत निर्यात भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर है और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात का 85-95 प्रतिशत भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर है। यही कारण है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि तीसरे देशों को निर्यात कीमत संबद्ध देशों से भारत को निर्यात कीमतों की तुलना में काफी कम है, अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर भारत को काफी मात्रा में विचलन की अच्छी संभावना है। इस प्रकार, यदि वरिष्ठ विद्वान के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो भारत पाटन के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य स्थान बन जाएगा क्योंकि यह बहुत बेहतर कीमतों की पेशकश करेगा। अंतिम जांच परिणामों में निहित तालिका, जिस पर विश्वास किया गया है, नीचे पुन: प्रस्तुत है:

"131. उत्तरदाता उत्पादकों के मामले में कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	**तीसरे देशों को कुल निर्यात (मी. टन)**	**भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात**	**भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का%**	**भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को निर्यात का % (रेंज)**
सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	50-60
पीटी एशिया प्रशांत रेयान	***	***	***	80-90
पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस	***	***	***	80-90

132. यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/ निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 55-65% भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है। इंडोनेशिया के मामले में, एपीआर द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 65-75% भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को 85-95% निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर है।

61. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि क्षति की संभावना इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि चीन से निर्यात का 62 प्रतिशत और इंडोनेशिया से भारत को लगभग 24 प्रतिशत निर्यात घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम था। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि जांच की अवधि के दौरान किए गए निर्यात की काफी मात्रा पहले से ही क्षतिकारक कीमतों पर थी लेकिन फिर भी निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जांच परिणाम निकालने में विफल रहे कि भविष्य की कीमतें भी एनआईपी से कम होंगी और इससे घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी। इस संबंध में अंतिम जांच परिणामों के पैरा 133, जिन्हें इस संबंध में रखा गया है, को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> *"133. प्राधिकारी ने उन आयातों की मात्रा की जांच की है जो घरेलू उद्योग के एनआईपी और एनएसआर से कम हैं और नीचे दर्शाये गये हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के एनआईपी और एनएसआर के कम पर काफी आयात हैं।*

	विवरण	**यूओएम**	**चीन जन. गण.**	**इंडोनेशिया**
1	कुल आयात (अप्रैल-जून, 2020 की तिमाही के लिए आयात को छोड़कर)	मी. टन	2,112	14,526
2	एनआईपी से कम पर आयात	मी. टन	1,308	3,539
3	एनएसआर से कम पर आयात	मी. टन	1,331	4,967
4	क्षतिकारक आयात का %	%	62%	24%
5	एनएसआर से कम पर आयात का %	%	63%	34%

62. ये कुछ संगत कारक हैं जिन्हें निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन अंतिम जांच परिणामों में उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

63. अंतिम जांच परिणाम से यह भी पता चलता है कि भारत में संबद्ध देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद निरंतर पाटन जारी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति की संभावना के पहलू की जांच करते हुए एक जांच परिणाम रिकॉर्ड किया कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना अथवा बार-बार होना 11 वर्षों से अधिक शुल्क जारी रखने की गारंटी देने के लिए काफी सशक्त नहीं था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आगे

यह माना कि संबद्ध देशों में उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के पास नगण्य अधिशेष क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत में उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जिस चीज की जांच करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से घरेलू उद्योग को पाटन के साथ-साथ क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। केवल 11 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना यह जांच परिणाम निकालने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

64. इसके अतिरिक्त, भविष्य के आयातों के स्तर का मूल्यांकन केवल उन उत्पादकों की अधिशेष क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता है जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान सामग्री का निर्यात किया है या जिन्होंने जांच में भाग लिया है। चीन में संबद्ध सामानों के बड़ी संख्या में उत्पादक हैं, जो लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। ये निर्यातक अपने पास उपलब्ध बेकार क्षमताओं के कारण भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात शुरू कर सकते हैं। चीन और इंडोनेशिया दोनों के लिए अधिशेष अथवा बेकार क्षमता की समग्र रूप से जांच की जानी है और संभावित विश्लेषण के लिए चीन में कुल निर्यातकों तथा उत्पादकों के एक छोटे प्रतिशत के संबंध में सूचना निर्धारण के लिए एक सही तरीका नहीं होगा। वास्तव में, प्रकटन विवरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन देशों के लिए समग्र रूप से अधिशेष क्षमता की जांच की थी तथा चीन में 36% और इंडोनेशिया में 64% की अधिशेष क्षमता पाई थी। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि चीन में सटेरी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किया गया है कि सटेरी ग्रुप के पास काफी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है, लेकिन प्रकटन विवरण के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच परिणाम निकाला कि सटेरी ग्रुप के पास इस कारण कोई अधिशेष क्षमता नहीं है कि सटेरी ग्रुप का क्षमता उपयोग कम था क्योंकि उत्पादन केवल दिसंबर, 2019 में शुरू हुआ था। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी पर निर्भर था कि वह संबंधित कारकों की जांच करे, जिसमें यह पता लगाना शामिल है कि क्या सटेरी ग्रुप ने उत्पादन जांच के बाद की अवधि में भारत को निर्यात किया गया था और किस कीमत पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पीटी एशिया पैसिफिक रेयन, इंडोनेशिया के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वही त्रुटि की गई है। इंडोनेशिया से निर्यात करने वाली कंपनियों ने भी पीटी एशिया पैसिफिक रेयान के लिए 0-10 प्रतिशत और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के लिए 40-50 प्रतिशत की सीमा में अधिशेष क्षमता स्वीकार की।

65. चीन में भाग लेने वाले उत्पादकों की सूचना चीन में कुल क्षमता के 10% से कम है। दिनांक 08.07.2016 की पिछली निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता का उल्लेख करना भी संगत होगा और संबद्ध भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> *"122. चीन के मामले में भी देश में बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं। कुल भारतीय मांग 300,000 मीट्रिक टन की रेंज में है जो चीन में कुल स्थापित क्षमता के 10% से भी कम है। पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में, भारतीय बाजार निर्यातकों के लिए बहुत आकर्षक हो जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात और तेज हो जाएंगे।"*

66. पूर्व निर्णायक समीक्षा में दर्ज जांच परिणाम तब तक महत्वपूर्ण नहीं हैं जब तक कि एक तथ्य के रूप में यह न दर्शाया जाए कि चीन में अधिशेष क्षमता पर्याप्त रूप से कम हो गई है, और विशेष रूप से जब सटेरी ग्रुप द्वारा दिए गए आंकड़े समग्र रूप से चीन के प्रतिनिधिकारक न हों। वास्तव में, यह उल्लेख किया गया है कि अकेले सटेरी ग्रुप के पास उपलब्ध क्षमता भारत में संबद्ध सामानों की कुल मांग का लगभग 4.90 गुना है। अतः, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में भारतीय बाजार इस ग्रुप के लिए बहुत आकर्षक हो जाएगा।

67. इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में हॉकिन्स रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी रेड बुक पर विश्वास किया था, लेकिन बिना कोई अच्छा कारण बताए उन्हें अंतिम जांच परिणामों में खारिज कर दिया और पूरी तरह से भाग लेने वाले उत्पादकों के आंकड़ों पर विश्वास किया।

68. उत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि हॉकिन्स रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी रेड बुक पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के सामने प्रकट नहीं किया गया है।

69. इस रिपोर्ट पर अपीलकर्ता द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए विश्वास किया गया था कि निर्यातक देशों के पास संबद्ध सामानों की अप्रयुक्त अधिशेष क्षमता मौजूद थी। रिपोर्ट की गोपनीयता का दावा निम्नलिखित आधार पर किया गया था:

"संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की क्षमता, मांग और उत्पादन वाले दस्तावेज तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक अधिकृत नहीं है। आवेदक ने सूचना का स्रोत और वास्तविक सूचना दी है।"

70. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि रिपोर्टें गोपनीय थीं और अपीलकर्ता को इन रिपोर्टों को तीसरे पक्षकार के साथ साझा करने से विशेष रूप से रोक दिया गया था, इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता था लेकिन रिपोर्ट का एक अगोपनीय रुपांतरण प्रदान किया गया था। इस संबंध में 1994 के करार के अनुच्छेद 6.5 पर विश्वास किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"6.5 कोई भी सूचना जो स्वभाव से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतिस्पर्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति, जिससे वह सूचना प्राप्त की गई है, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा जो किसी जांच में पक्षकारों द्वारा अच्छा कारण बताकर गोपनीय आधार पर दी गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है। ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।"

71. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा गोपनीयता के दावे को सही ढंग से स्वीकार किया।

72. अपीलकर्ता ने सूचना का एक अगोपनीय सार भी प्रदान किया था, जो इस प्रकार है:

73. अपीलकर्ता के अनुसार, उपर्युक्त दो रिपोर्टों में निहित सूचना का सार उपर्युक्त तालिका में दिया गया है और अन्यथा भी निर्यातक देश की क्षमता विदेशी निर्यातकों और उत्पादकों की सूचना में है। इन रिपोर्टों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों में वास्तविक क्षमता के संबंध में साक्ष्य प्रदान करके खंडन किया जा सकता था। वास्तव में निर्यातक प्रश्नावली भाग- II में भाग लेने वाले निर्यातकों और उत्पादकों को न केवल अपने स्वयं के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना बल्कि घरेलू बाजार में अन्य उत्पादकों के बारे में भी सूचना

प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तथापि, विदेशी निर्यातक ऐसी सूचना देने में विफल रहे।

74. अतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूरी तरह से चीन और इंडोनेशिया दोनों की क्षमता की जांच करने के बजाय उत्पादकों की अधिशेष क्षमता को उन लोगों तक सीमित रखने के लिए खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान सामग्री का निर्यात किया था।

75. तथापि, विभाग के लिए विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए कहा है कि अधिकरण को निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की शुद्धता का निर्णय लेने से बचना चाहिए।

76. यह निर्णय उत्तरदाता की सहायता के लिए नहीं आएगा क्योंकि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था क्योंकि अंतिम जांच परिणामों ने सभी कानूनी अपेक्षाओं को हल किया गया था। इस निर्णय में यह नहीं माना गया है कि अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की जांच नहीं की जा सकती है। निर्णय के पैरा 42 में निहित उच्च न्यायालय की संगत टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "42. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सही दृष्टिकोण अपनाया है अथवा नहीं, यह तय करने के लिए न्यायालय एक आर्थिक विश्लेषक की भूमिका नहीं निभा सकता है; जब तक अंतिम जांच परिणाम सभी कानूनी अपेक्षाओं को हल करें, और प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अवैधता को दर्शाए बिना नियमावली में उल्लिखित कारकों पर विचार किया जाए (जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले में किया था), न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

77. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि उपर्युक्त दो रिपोर्टों में सभी प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर की क्षमता के बारे में सूचना है, जिसमें वे श्रेणियां भी शामिल हैं जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

78. तथापि, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उत्तरदाता इस मुद्दे को अधिकरण के समक्ष पहली बार उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यह आपत्ति जन सुनवाई के अनुसार दायर लिखित अनुरोधों में नहीं उठाई गई थी और न ही ऐसी आपत्ति प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड की गई है। यहां तक कि अन्यथा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, लियोसेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर के लिए उत्पादन प्रक्रिया और संयंत्र समान हैं।

79. जब उत्तरदाता ने उचित समय पर यह आपत्ति नहीं उठाई थी, तो इस अपील में पहली बार इस आपत्ति को उठाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है।

80. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा में उत्पाद के क्षेत्र और विचार को एकतरफा बदल दिया, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किया गया था।

81. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के सीमित क्षेत्र पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया था और निर्णायक समीक्षा कार्यवाही में विचाराधीन उत्पाद के विस्तार के लिए कोई दावा नहीं किया था। उत्पाद की किस्मों पर शुल्क लगाए जाने का दावा करना घरेलू उद्योग का विशेषाधिकार है और न तो प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) और न ही पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 किसी निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने से निर्दिष्ट प्राधिकारी को रोकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशी निर्यातकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह किया गया है, यदि विचाराधीन उत्पाद को निर्णायक समीक्षा में प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वास्तव में विदेशी निर्यातकों को लाभ होगा, यदि इस विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है। अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया था और ये टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

> "14........ वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन पत्र में, आवेदक ने मोडल फाइबर, नॉन-वूवन फाइबर, फ्लैम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेंसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को बाहर करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया। जांच शुरू करने के समय प्राधिकारी द्वारा बार करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रतिबंधित/संकुचित कर दिया

गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को कम करने पर अधिनियम अथवा नियमावली के तहत कोई रोक नहीं है, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग ने स्वयं विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें अब हटाई गई ग्रेडों/किस्मों के संबंध में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

15. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के समय पूर्व में कई निर्णायक समीक्षा जांचों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कटौती से उनके हितों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने शुरूआती चरण में ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने का अनुरोध किया था। यदि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादन की इन किस्मों/ग्रेडों को बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार किए बिना जांच की कार्रवाई का होती, तो इसके परिणामस्वरूप आवेदक/घरेलू उद्योग ने जिन किस्मों/ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग ने किसी संरक्षण की मांग नहीं की थी, उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया जाता। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कटौती से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शुरूआत के चरण में ही कटौती की गई थी।

139. शुरूआत के समय ही विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र से कुछ उत्पाद किस्मों को अलग करने संबंधी अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक और जिस सीमा तक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो, जिससे क्षति हो रही है, लागू रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि उसे कुछ उत्पाद किस्मों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यह जांच के समय ही विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र को सीमित करने के लिए प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.1 जो समीक्षा जांच के लिए लागू अपक्षा को निर्धारित करता है, निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहेगा जब तक और उस सीमा तक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो जिससे क्षति हो रही हो।"

इसी तरह, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23(1) में समीक्षा जांच के लिए व्यापक प्रावधान है जिससे प्राधिकारी पर यह दायित्व बनता है कि अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उस अवधि के लिए और पाटन, जिससे क्षति हो रही है, का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।

सीमा शब्द का सामान्य अर्थ "मद, मात्रा, अथवा सीमा" है और आवश्यक शब्द का अर्थ "किए जाने, प्राप्त किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के लिए के लिए आवश्यकः अनिवार्य है।"

इस प्रकार नियम 23(1ख) में निर्णायक समीक्षा जांच करते समय प्राधिकारी पर नियम 23(1) में सीमा का प्रावधान है कि शुल्क का विस्तार/शुल्क लगाया जाना एक अपवादात्मक परिस्थिति है और यह विस्तार केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जहां तक पाटन के कारण हो रही क्षति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो।

उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप और आवेदक द्वारा मोडल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को अलग किए जाने के अनुरोध के अनुसार, प्राधिकारी ने विशेष रूप से इस अनुरोध पर विचार किया है जब आवेदक उन उपर्युक्त उत्पाद किस्मों पर शुल्क बढ़ाए जाने में इच्छुक नहीं है, जो पूर्व में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत थे। अतः अनुच्छेद 11.1 जिसमें समीक्षा जांच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित हैं और नियम 23(1), जो भारतीय समीक्षा जांचों के लिए शब्दशः अनुच्छेद 11.1 है, लागू करके प्राधिकारी ने उनके द्वारा बेकार कार्य रोककर खुद जांच की शुरूआत के चरण पर नियम 23(1) के तहत परिकल्पित किए गए अनुसार "आवश्यक सीमा तक" सिद्धांत को लागू करके उत्पाद क्षेत्र को सीमित किया है। यदि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध के बावजूद उक्त उत्पादों के संबंध में समीक्षा जांच शुरू की होती तो यह संसाधन और समय की बर्बादी होती।"

82. अतः, उपर्युक्त चर्चा से अपरिहार्य जांच परिणाम यह निकलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को फिर से जांच करनी चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की की संभावना है ताकि पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक हो। यह नोट करने की आवश्यकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक स्पष्ट जांच परिणाम रिकॉर्ड किया था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहेगा अथवा बार-बार होगा और यहां तक कि क्षति के पहलू के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने क्षति के जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, परंतु उन्होंने यह भी माना कि ऐसी क्षति इतनी अधिक नहीं थी कि पांच वर्ष की और एक अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके। इस प्रकार, रिमांड पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी चीजों की फिर से जांच की जानी चाहिए, यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है जिससे पांच वर्ष की एक ओर अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है।

83. वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51832, वर्ष 2021 की पाटन रोधी अपील संख्या 51833, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51834, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51868, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51869 और वर्ष 2022 की पाटनरोधी अपील संख्या 50570 में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

> *(i) जब पाटनरोधी शुल्क पहले ही समाप्त हो चुका था, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने और जांच करने में त्रुटि की थी;*
> *(ii) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को निर्णायक समीक्षा जांच में एकतरफा बदल दिया गया था;*
> *(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह मानने में त्रुटि की कि क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना थी; और*
> *(iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों के संबंध में इसमें एक त्रुटि की है।*

84. पहले, दूसरे और तीसरे अनुरोध पर पहले ही विचार किया जा चुका है और खारिज कर दिये गये हैं।

85. चौथा तर्क यह है कि घरेलू उद्योग के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों की अनदेखी की गई है।

86. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों की तब कोई संगतता नहीं होगी जब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संदर्भ में निर्णय लेने की कार्रवाई करें कि प्रशुल्क अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार निर्धारित करने के लिए जांच की गई अवधि वितीय वर्ष 2016-17 तक थी, जबकि निर्णायक समीक्षा में क्षति अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 01.10.2019 से 30.09.2020 के लिए थी। इस मुद्दे को भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणामों में सही माना गया है और संबंधित भाग को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

87. वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51872 निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए दायर की गई है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत अवैध थी क्योंकि कोई कानूनी रूप से वैध पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था;
(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का संशोधन मनमाना और अनुचित था;
(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रिपोर्ट की पूर्ण अनदेखी की गई है; और
(iv) घरेलू उद्योग के जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार न करना स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध था।

88. उठाए गए पहले तीन मुद्दों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। यह नोट करने की आवश्यकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम में अंतिम जांच परिणाम के पैरा 143 में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों सहित क्षति जांच अवधि के लिए सूचना पर विचार किया है।

89. परिणाम में, ऊपर उल्लिखित सभी कारणों से,

(i) वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51490 को उस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पुन: जांच करेंगे और इस बारे में एक नया जांच परिणाम देंगे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है ताकि पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सके। अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 30.07.2021 के अंतिम जांच परिणाम इस सीमा तक संशोधित माने जाते हैं। इसके बाद अंतिम जांच परिणाम, प्रशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ii) वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51832, वर्ष 2021 की 51833, वर्ष 2021 की 51834, वर्ष 2021 की 51868, वर्ष 2021 की 51869, वर्ष 2021 की 51872 और वर्ष 2022 की 50570 खारिज की जाती है।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. इस रिमांड जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 12 जुलाई, 2022 और 19 जुलाई, 2022 के ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया कि वे निर्धारित प्रारूप में 1 अक्तूबर, 2020 - 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराएं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 26 जुलाई, 2022 को रिमांड कार्यवाही में मौखिक सुनवाई की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 1 अगस्त, 2022 तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराने, 5 अगस्त, 2022 को लिखित अनुरोध और 10 अगस्त, 2022 को प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया।

(ii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

(iii) प्राधिकारी ने जांच में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक अद्यतन सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

(iv) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 ("पीओआई") मानी गई है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020 और जांच की अवधि है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध की गई अतिरिक्त/पूरक सूचना की भी प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

(v) रिमांड जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया और अनुरोध किये:

क. मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
ख. पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया
ग. बिरला जिंगवेल फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
घ. इंडोनेशिया दूतावास
ङ. पीटी एशिया पेसिफिक रेयान - इंडोनेशिया
च. एशिया फाइबर ट्रेडिंग पीटीई. लिमिटेड - सिंगापुर
छ. सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड - चीन जन. गण.
ज. पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)-इंडोनेशिया
झ. इंडियन मैनमेड यार्न मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
ञ. कानफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई)
ट. इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन (आईटीएफ)
ठ. डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (डीएमए)
ड. सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए)
ढ. तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन
ण. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन
त. पल्लव टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

थ. श्री चेरन सिंथेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

(vi) घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।

(vii) क्षतिरहित कीमत सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर है। यह इस प्रकार निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(viii) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए उन पर विश्वास किया गया है।

(ix) इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जहां कहीं भी संगत पाया गया है, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा हल किया गया है।

(x) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किये हैं।

(xi) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 22 सितंबर, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

(xii) इन अंतिम जांच परिणामों में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

(xiii) जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.38 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

6. प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की अधिसूचना के शुद्धिपत्र के साथ पठित दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू करने के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

"निम्नलिखित को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर"

- क. *बम्बू फाइबर*
- ख. *मोडल फाइबर*
- ग. *नॉन वूवन फाइबर*
- घ. *फ्लैड रिडार्डेंट फाइबर*
- ङ. *इको फाइबर (इको वेरो अथवा ईवी)*
- च. *स्पन डाइड फाइबर*
- छ. *टेनसेल फाइबर (अथवा लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"*

ग.1 <u>आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध</u>

7. इस रिमांड जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

8. इस रिमांड जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

9. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में खंड ग में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

10. दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित क्षेत्र की पुन: पुष्टि करते हैं।

> "मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) तक ही सीमित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
>
> क. बम्बू फाइबर
> ख. मोडल फाइबर
> ग. नॉन वूवन फाइबर
> घ. फ्लैड रिडार्डेंट फाइबर
> ङ. इको फाइबर (इको वेरो अथवा ईवी)
> च. स्पन डाइड फाइबर
> छ. टेनसेल फाइबर (अथवा लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार</u>

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।*

घ.1 <u>आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध</u>

12. इस रिमांड जांच में घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

13. इस रिमांड जांच में घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

14. प्राधिकारी ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड घ में घरेलू उद्योग के आधार के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के आधार की फिर से जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

15. दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आधार की पुन: पुष्टि करते हैं:

"पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषा, मूल एवं प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा किए गए विगत निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले के रिकॉर्ड संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह जांच परिणाम निकालते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत अपात्र घरेलू उद्योग मानने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवेदन पत्र आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है।"

ङ. <u>गोपनीयता</u>

16. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

" गोपनीय सूचना :(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

ङ.1 **<u>आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

17. इस रिमांड जांच में गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.2. **<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

18. इस रिमांड जांच में गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, जहां कहीं भी आवश्यक हो और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

21. इस रिमांड जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों की अद्यतन सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

च. विविध मुद्दे

च.1 आवेदक द्वारा अनुरोध

22. रिमांड की कार्यवाही के दौरान आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए:

क. इस रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच के समय जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करना उपयुक्त नहीं माना। सेसटेट ने प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

ख. यहां तक कि यदि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की जाए, तो अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक की संगत जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच की जानी चाहिए। अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021 की जांच की अवधि के बाद की अवधि असंगत है क्योंकि इस अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क मौजूद था। जांच के बाद की संगत अवधि को दो तिमाहियों में अलग करके विस्तार से देखा जाना आवश्यक है।

ग. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा माने गए विचार और निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी थे। प्राधिकारी को या तो प्रकटन विवरण की पुष्टि करनी होगी या उन तथ्यों का प्रकटन करना होगा जो प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करने के बाद पाये हैं जिसके कारण जांच परिणामों में परिवर्तन हुआ है।

घ. अंतिम जांच परिणामों में पहली बार सूचना की अनदेखी करना स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रकटन विवरण पर टिप्पणी नए साक्ष्य अथवा तथ्य लाने का चरण नहीं है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रिमांड कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी द्वारा की गई मौखिक सुनवाई समय से पहले की थी क्योंकि यह हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना की गई थी। जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्राप्त करने के बाद मौखिक सुनवाई फिर से की जानी चाहिए।

ख. प्राधिकारी का जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांगना औचित्यपूर्ण है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच से अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर क्षति की संभावना का निर्धारण संभव होगा।

ग. विगत में रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया गया है जबकि जांच के समय जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया था। अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2022 तक के संपूर्ण जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संगत हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि संबद्ध देशों से भारत में आयातों, घरेलू उद्योग की स्थिति और विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अधिशेष क्षमता तथा निर्यातोन्मुखता के संबंध में नवीनतम तथा सर्वाधिक हाल की सूचना की जांच की जा सके। जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों में छः माह की अवधि भी शामिल होगी जिसके दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था। इस अवधि के दौरान आयातों और घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए संगत होगी यदि पाटनरोधी शुल्क की यही स्थिति जारी रहती है।

25. प्रकटन विवरण में और क्षति की संभावना के आकलन के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा किए गए सभी तथ्य और टिप्पणियां वर्तमान रिमांड कार्यवाही के प्रयोजन के लिए वास्तव में असंगत हैं जब तक कि वर्तमान प्रकटन विवरण में विशेष रूप से निहित न हों अथवा स्वीकार न किए जाएं।

26. वर्तमान अंतिम जांच परिणाम वे सभी अनिवार्य तथ्य और सूचना प्रकट करते हैं जो संगत माने गए हैं। निर्णायक समीक्षा जांच के समय जारी किए गए प्रकटन विवरण में सूचना पर विचार करना अथवा विचार न ककरना वर्तमान रिमांड जांच के प्रयोजन के लिए असंगत है।

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्रस्तुत करने और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त अवसर दिया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

30. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड छ में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

31. प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अंतिम जांच परिणाम के खंड छ में अपनी जांच की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन की निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

<u>तिमाही-वार पाटन मार्जिन:</u>

सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लिमिटेड					
तिमाही	**मात्रा- कि.ग्रा.**	**निर्यात कीमत (अमे. डॉ.)**	**निर्यात कीमत अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**सामान्य मूल्य अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर**
अक्तूबर-दिसंबर, 2019	***	***	***	***	***
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***
पीटी एशिया पेसिफिक रेयन					
तिमाही	**मात्रा- कि.ग्रा.**	**निर्यात कीमत (अमे. डॉ.)**	**निर्यात कीमत अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**सामान्य मूल्य अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर**
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***

सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लिमिटेड					
तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**निर्यात कीमत (अमे. डॉ.)**	**निर्यात कीमत अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**सामान्य मूल्य अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर**
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी)					
तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**निर्यात कीमत (अमे. डॉ.)**	**निर्यात कीमत अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**सामान्य मूल्य अमे. डॉ. प्रति मी. टन**	**पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर**
अक्तूबर-दिसंबर, 2019	***	***	***	***	***
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

क्रम सं.	**विवरण**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**	**पाटन मार्जिन**	**रेंज**
		अमे. डॉ./मी. टन	**अमे. डॉ./मी. टन**	**अमे. डॉ./मी. टन**	**%**	**%**
1	**चीन जन. गण.**					
क	सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
ख	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30%
2	**इंडोनेशिया**					
क	पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	***	15-25%
ख	पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	***	30-40%

क्रम सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		अमे. डॉ./ मी. टन	अमे. डॉ./ मी. टन	अमे. डॉ./मी. टन	%	%
	(एसपीवी)					
ग	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70%

32. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. <u>क्षति एवं कारणात्मक संपर्क</u>

ज.1 <u>आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध</u>

33. इस रिमांड जांच में क्षति जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

34. इस रिमांड जांच में क्षति जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

35. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर उन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करने के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग

पर पाटित आयातों के प्रभाव, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की जांच के लिए नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

36. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

37. क्षति विश्लेषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की सीमा को कम करने के लिए, अप्रैल-जून, 2020 की लॉकडाउन अवधि को हटा दिया गया है और क्षति विश्लेषण में निष्पक्षता लाने के लिए जांच की अवधि के शेष नौ माह के आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है।

ज.3.1. मांग का आकलन

38. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**	
						9 माह	**वार्षिक**
1	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
2	अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,065	1,066	7,687	3,552	4,736
3	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	132	132
4	कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	139	133	133

39. यह देखा जाता है कि वर्ष 2019-20 तक संबद्ध सामानों की मांग में निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ी गिरावट आई।

ज.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

40. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिक
1	संबद्ध देश	मी. टन	15,429	25,290	24,799	16,638	22,185
क	चीन जन. गण.	मी. टन	1,223	2,337	4,340	2,112	2,816
ख	इंडोनेशिया	मी. टन	14,206	22,953	20,459	14,526	19,368
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात-						
क	भारतीय उत्पादन	%	100	134	122	110	110
ख	खपत	%	100	127	116	108	108
ग	कुल आयात	%	93.54%	95.96%	76.34%	82.41%	82.41%

41. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

ज.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

42. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

43. भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि

						9 माह	वार्षिक
1	**निवल बिक्री वसूली**	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
2	**समग्र रूप में संबद्ध देश**						
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135	1,11,135
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%
3	**चीन जन. गण.**						
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,37,973	1,45,553	1,20,477	1,12,476	1,12,476
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	(0-10)%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%
4	**इंडोनेशिया**						
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,29,562	1,39,713	1,24,007	1,10,940	1,10,940
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%

44. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः, कीमत कटौती नकारात्मक है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है अथवा कीमतों में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि (वार्षिक)**
1	आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,30,229	1,40,253	1,23,389	1,11,135
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	95	85
2	बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	98	89
3	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	87	78

46. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी अधिक है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	तिमाही-3 2019-20	तिमाही-4 2019-20	तिमाही-2 2020-21	औसत
1	क्षतिरहित कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	**समग्र रूप में संबद्ध देश**					
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	118,952	108,081	103,553	111,135
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	0-10%	नकारात्मक	नकारात्मक
3	चीन जन. गण.					
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	116,122	106,566	109,505	112,476
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	0-10%	नकारात्मक	नकारात्मक
4	इंडोनेशिया					
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	119,562	108,357	103,287	110,940
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	0-10%	नकारात्मक	नकारात्मक

47. चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक कीमत पर भारत में आ रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

48. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ,

उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों तथा सभी संगत आर्थिक कारकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं नकारात्मक प्रभावों की वस्तुपरक जांच शामिल होनी चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

49. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिक
1	क्षमता	मी. टन	5,05,725	5,45,605	5,84,820	4,44,745	5,92,993
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	116	117	117
2	उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	4,99,250	5,41,151	5,67,008	4,05,178	5,40,237
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	108	108
3	उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	132	131	131
4	क्षमता उपयोग	%	99%	99%	97%	91%	91%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	98	92	92
5	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	152	146	146
6	डीम्ड निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	57	64	64
7	सकल घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	135	132	132

50. यह देखा जाता है कि:-

क. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निरंतर अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

ख. घरेलू उद्योग वर्ष 2019-20 तक लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था। कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम हो गया।

ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि में इसमें थोड़ी गिरावट आई।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

51. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की नीचे जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	%	100	127	116	108
2	अन्य देश	%	100	78	521	334
3	घरेलू उद्योग	%	100	99	98	99

52. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति जांच अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निरंतर 92 प्रतिशत से अधिक रहा है। कोविड-19 व्यवधान के बावजूद जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग. मालसूची

53. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	162	222

54. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई लेकिन वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई तथा जांच की अवधि में यह और अधिक बढ़ गई।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

55. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिक
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	98	89	89
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	87	78	78
3	लाभ/हानि	₹/मी. टन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	36	27	27
4	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	48	36	36
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	61	50	50
6	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	55	41	41
7	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	48	37	37

56. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति जांच अवधि के दौरान अच्छा लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अर्जित कर रहा है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

57. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	
						9 माह	वार्षिक
1	कर्मचारियों की	सं.	***	***	***	***	***

	संख्या						
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	94	92	92
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	122	119	119
3	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/ दिन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	108	108
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ सं.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	121	118	118

58. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर क्षति अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रहा है। प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन उसमें उत्पादन में गिरावट के कारण जांच की अवधि में थोड़ी गिरावट आई।

च. पाटन की मात्रा

59. यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

छ. नई पूंजी जुटाने की क्षमता

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति जांच अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी निरंतर क्षमता विस्तार कर रहा है। इसलिए, नई पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

झ. <u>कारणात्मक संपर्क</u>

61. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में पहले ही खंड-I में कारणात्मक संपर्क के निर्धारण के मुद्दे की जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

62. कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी के संबंध में अंतिम जांच परिणामों के खंड-I में प्राधिकारी अपनी जांच की निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

क. तीसरे देश से आयात की मात्रा और कीमत

63. संबद्ध देशों के अलावा, न्यूनतम सीमा से अधिक आयात थाईलैंड से हैं। यह देखा जाता है कि थाईलैंड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

64. जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है। जैसा कि पहले ही ऊपर जांच की जा चुकी है, मांग में गिरावट कोविड-19 के कारण थी। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है।

ङ. निर्यात निष्पादन

67. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निर्यात में वृद्धि हुई है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

68. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामान के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

69. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड ञ में पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

70. प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की भी निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

<u>तिमाही-वार क्षति मार्जिन</u>

सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड

तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**सीआईएफ कीमत (अमे. डॉ.)**	**पहुँच मूल्य अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**एनआईपी अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**क्षति मार्जिन अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**
अक्तूबर-दिसंबर, 2019	***	***	***	***	***
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पीटी एशिया पेसिफिक रेयन

तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**सीआईएफ कीमत (अमे. डॉ.)**	**पहुँच मूल्य अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**एनआईपी अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**क्षति मार्जिन अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी)

तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**सीआईएफ कीमत (अमे. डॉ.)**	**पहुँच मूल्य अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**एनआईपी अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**क्षति मार्जिन अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**
अक्तूबर-दिसंबर,	***	***	***	***	***

तिमाही	**मात्रा-कि.ग्रा.**	**सीआईएफ कीमत (अमे. डॉ.)**	**पहुँच मूल्य अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**एनआईपी अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**	**क्षति मार्जिन अमे. डॉलर. प्रति मी. टन**
2019					
जनवरी-मार्च, 2020	***	***	***	***	***
जुलाई-सितंबर, 2020	***	***	***	***	***
भारित औसत	***	***	***	***	***

<u>क्षति मार्जिन तालिका</u>

क्रम सं.	**विवरण**	**क्षतिरहित कीमत**	**पहुँच मूल्य**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**रेंज**
		अमे. डॉ./मी. टन	अमे. डॉ./मी. टन	अमे. डॉ./मी. टन	%	%
1	चीन जन. गण.					
क	सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	नकारात्मक
ख	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	5-15%
2	इंडोनेशिया					
क	पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	***	नकारात्मक
ख	पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	***	नकारात्मक
ग	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20%

ट. <u>क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना</u>

71. रिमांड जांच के दौरान नए सिरे से क्षति की संभावना की जांच के आधार पर निर्धारित सभी आवश्यक तथ्यों को इसके साथ प्रकट किया जाता है।

ट.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

72. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

क. सेसटेट मानता है कि प्राधिकारी ने पहले ही जांच कर ली है और माना है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। अतः, वर्तमान रिमांड कार्यवाही का क्षेत्र यह तय करने के लिए सीमित होना चाहिए कि क्या 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश की जानी है अथवा नहीं।

ख. चूंकि क्षति की संभावना के लिए शर्तें पूरी हैं, अतः इसका मतलब स्वतः ही यह है कि शुल्क बढ़ाये जाने चाहिए। कानून अथवा नियमावली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शुल्कों के विस्तार की अनुमति देने की संभावना काफी मजबूत होनी चाहिए।

ग. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (5) के प्रावधान के अनुसार, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच किये जाने की आवश्यकता है।

घ. मूल जांच की तुलना में पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई और दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में और अधिक वृद्धि हुई। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है।

ङ. नियमावली के अनुबंध-II में कारकों की सूची संपूर्ण नहीं है। मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और भारत संघ के मामले में अधिकरण ने यह भी पाया था कि तीसरे देश की पाटन, अधिशेष क्षमता, भारतीय बाजार की निर्यात आकर्षकता, और संभावित विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयुक्त अन्य मानदंड निर्णायक समीक्षा के लिए संगत हैं।

च. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में उल्लिखित कारकों के अलावा अन्य कारकों जैसे निर्यातोन्मुखता, क्षतिकारक निर्यात, क्षमता विस्तार, कीमत आकर्षकता, तीसरे देश के पाटन आदि की निरंतर जांच की है।

छ. वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने खुद को केवल कुछ कारकों तक सीमित रखा है और अन्य कारकों जैसे निर्यातोन्मुखता, क्षमता विस्तार आदि की जांच नहीं की गई है।

ज. विगत में प्राधिकारी द्वारा जांचे गए कई कारकों के बारे में सूचना उपलब्ध थी, लेकिन प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच नहीं की गई थी।

झ. प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देशों में उत्तरदाता उत्पादकों के पास नगण्य अधिशेष क्षमताएं हैं लेकिन केवल अधिशेष क्षमताओं की जांच संगत नहीं है। संभावना मानदंडों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है और अन्य कारकों के संबंध में देखा जाना आवश्यक है।

ञ. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी ने पाया कि उत्तरदाता उत्पादक पूरी क्षमता से प्रचालन कर रहे थे। तथापि, प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख थे और उन्हें शुल्कों के विस्तार के प्रयोजन के लिए संगत माना गया था।

ट. उपर्युक्त जांच अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में उन्हीं उत्पादकों को निर्यातोन्मुख पाया।

ठ. इंडोनेशिया में उत्पादक महानिदेशक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संख्या प्रति 19/बीसी/2018 के विनियमन द्वारा शासित होते हैं जो अधिदेशित करता है कि वे घरेलू बाजार में उत्पादन का अधिकतम 50% बेच सकते हैं। यह तथ्य कि उत्पादकों को अपने उत्पादन का 50% अनिवार्य रूप से निर्यात करना होता है, निर्यातोन्मुखता की मात्रा दर्शाता है। इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के उत्पादकों दोनों ने भाग लिया तथा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर विवाद नहीं किया।

ड. एशिया पैसिफिक रेयन ने इंडोनेशिया में अपनी क्षमता *** मी. टन तक बढ़ा दी थी। चीन में सटेरी फाइबर कंपनी लिमिटेड भी *** मी. टन तक क्षमता का विस्तार कर रही है। यह तथ्य कि इंडोनेशिया में ही उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार किया गया है, यह दर्शाता है कि आयात में वृद्धि की संभावना होगी।

ढ. केवल यह तथ्य कि उत्पादकों के पास बेकार क्षमता है और वे 100% क्षमता उपयोग करना चाहते हैं, निर्यात में वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ण. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उत्पादक 100% क्षमता उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्राधिकारी ने स्वयं सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड को बेकार क्षमताओं के बिना प्रचालन करते हुए पाया है।

त. यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि उत्तरादाता उत्पादकों के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है, तो भी प्राधिकारी को भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को ध्यान में रखना आवश्यक था। तीसरे देशों को उत्तरदाता उत्पादकों के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर था।

थ. प्राधिकारी ने न केवल भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में पाया, बल्कि प्राधिकारी ने यह भी पाया कि तीसरे देशों को काफी निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर थे।

द. सेसटेट ने संभावित निर्धारण के लिए कीमत आकर्षकता और क्षतिकारक निर्यातों को संगत मानदंड माना है। तथापि, प्राधिकारी ने निष्कर्ष पर पहुंचने में इस पर विचार नहीं किया है।

ध. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा माने गए विचार और अंतिम जांच परिणाम पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

न. नियम 16 में यह उल्लेख है कि "निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपने अंतिम जांच परिणाम देने से पूर्व, सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के बारे में सूचित करेंगे जो उसके निर्णय के लिए आधार बनते हैं।" चूंकि निर्णय लिया जाना है कि उपायों को लागू करने की सिफारिश करनी है अथवा नहीं, अतः उन सभी तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे उपर्युक्त निर्णय हो।

प. चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रेन ऑरियंटेड फ्लैट-रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील पर प्रतिकारी एवं पाटनरोधी शुल्कों के मामले में, डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि इन तत्वों से संबंधित जांच परिणाम और निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए सभी "अनिवार्य तथ्य" निश्चयात्मक उपाय लागू करने के लिए निर्णय का आधार बनते हैं और उन्हें प्रकट किया जाना चाहिए।

फ. अंतिम जांच परिणाम में लाभप्रदता और अधिशेष क्षमताओं के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष प्रकटन विवरण से पूरी तरह बदल गए हैं। प्राधिकारी द्वारा "परिवर्तित" निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

ब. संभावना जांच समग्र रूप से पूरे देश के लिए की जाती है और यह किसी उत्पादक तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी ने केवल संभावना विश्लेषण के लिए उत्तरदाता उत्पादकों की क्षमता पर ही विश्वास किया है।

भ. चीन में 29 उत्पादक हैं और सटेरी (इसके 5 संबद्ध उत्पादकों सहित) के पास चीन की कुल क्षमता का 1/4 भाग से भी कम है। क्षमता के इतने छोटे हिस्से पर विश्वास करके, प्राधिकारी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं।

म. सेसटेट ने यह भी माना है कि समग्र रूप से पूरे देश के लिए संभावना की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

य. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में अधिशेष क्षमता की जांच की थी और चीन में 36% तथा इंडोनेशिया में 64% की अधिशेष क्षमता पाई थी। यह जांच आवेदक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट पर आधारित थी, जिस पर प्रकटन विवरण के स्तर तक विवाद नहीं किया गया था।

कक. यह तथ्य कि चीन में 36% तक अधिशेष क्षमताएं थीं, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि केवल उत्तरदाता उत्पादक के आंकड़ों पर ही विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए था।

खख. इसी तरह का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका-जापाना से सीआरसीएस फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा के मामले में और यूएस-संक्षारणरोधी इस्पात निर्णायक समीक्षा के मामले में अपीलीय निकाय द्वारा लिया गया है।

गग. 35 से अधिक वर्षों के अनुभव से, हॉकिन्स राइट अंतर्राष्ट्रीय लुगदी, कागज और बायोएनेर्जी उद्योगों के लिए बाजार आसूचना का विश्वसनीय स्रोत है। इसी तरह, वुड मैकेंज़ी भी लगभग 100 वर्षों के अनुभव के साथ एक वैश्विक शोध और परामर्शी संगठन है।

घघ. प्राधिकारी ने चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से पूरी तरह से तैयार यार्न के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा और चीन जन. गण. से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में इन रिपोर्टों पर विश्वास किया है।

ङङ. रिपोर्टों के ग्राहकों के ब्यौरों में गोल्डमैन सैक्स, आईएफसी वर्ल्ड बैंक, मित्सुबिशी कॉर्प, केपीएमजी आदि जैसे कॉरपोरेट शामिल हैं। सटेरी ग्रुप हॉकिन्स राइट एजेंसी के ग्राहकों में से एक है। सटेरी ग्रुप के पास इन रिपोर्टों तक पहुंच थी, लेकिन उन्होंने प्राधिकारी को इसे उपलब्ध नहीं कराया।

चच. यह तथ्य कि संबद्ध देशों के उत्पादकों अथवा इंडोनेशिया सरकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है, इस तथ्य की स्वीकृति के समान है कि रिपोर्ट में दी गई सूचना विश्वसनीय थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विवाद करते हुए कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं दी है।

छछ. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II के अनुसार, किसी उत्पादक को अपने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता, उत्पादन, मांग, आयात और निर्यात के बारे में सूचना प्रदान करना आवश्यक है। किसी भी उत्पादक ने संगत सूचना नहीं दी है।

जज. उत्तरदाता उत्पादकों का संगत सूचना देने का दायित्व था और वे इसे प्रदान करने में विफल रहे हैं। वे उस सूचना की अज्ञानता का तर्क नहीं दे सकते जो कि प्रश्नावली के उत्तर का एक भाग हैं और फिर दी गई सूचना की परिशुद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता विदेशी उत्पादक सूचना, विशेष रूप से प्रश्नावली के उत्तर में मांगी गई सूचना, देने में विफल रहे और उन्हें उस सीमा तक असहयोगी माना जाना चाहिए तथा प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम बनाने चाहिए।

झझ. मौखिक सुनवाई के दौरान, सटेरी (फ़ुज़ियान) फ़ाइबर कं, लिमिटेड और पीटी एशिया पैसिफिक रेयन के कानूनी प्रतिनिधियों ने अपने तर्क के समर्थन में एक दस्तावेज़ दिखाया था कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिपोर्ट में अविश्वसनीय सूचना थी जो इसे रद्द किए जाने का औचित्य बनाती है। तथापि इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

ञञ. रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर आवेदक को कभी भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। यह तथ्य कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में पहली बार रिपोर्टों की अनदेखी की, स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

टट. नियम 16 अंतिम चरण है जिस पर सभी तथ्य स्थिर हो जाते हैं और प्रकटन विवरण जारी करने का उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकट करना है। इस जांच के किसी भी चरण में, डीजीटीआर ने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि रिपोर्ट की परिशुद्धता और विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

ठठ. आवेदक ने इंडोनेशियाई उत्पादक की अलग-अलग क्षमता, इंडोनेशिया से निर्यात, इंडोनेशिया में आयात और इंडोनेशियाई उद्योग के मूल्यांकन किए गए उत्पादन उपलब्ध कराया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया उत्तरों से इसका सत्यापन करें। इस सूचना का विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों के साथ सहसंबंध रिपोर्ट में निहित सूचना की विश्वसनीयता को और सिद्ध करेगा।

डड. नियम 6(8) में यह उल्लेख है कि ऐसी स्थिति में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है अथवा संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करेंगे।

ढढ. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पाया था कि सटेरी (चीन) फाइबर कंपनी लिमिटेड के पास अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध थीं। तथापि, अंतिम जांच परिणाम में यह माना गया कि जांच के बाद की अवधि में कंपनी का उत्पादन स्थिर हो गया है और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर उपलब्ध एक नई सूचना थी। अंतिम जांच परिणाम में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि उत्पादक द्वारा कब सूचना दी गई थी और प्राधिकारी ने इसे कैसे सत्यापित किया है।

णण. यहां तक कि दी गई सूचना को रद्द किया जाना था, तो हितबद्ध पक्षकारों को यह दर्शाना आवश्यक था कि पहली निर्णायक समीक्षा जांच से तथ्य कैसे बदल गए हैं। जब तक यह नहीं दर्शाया जाता है कि पूर्व के रिकॉर्ड किए गए अंतिम जांच परिणाम अच्छे बनी हुए हैं। वर्तमान मामले में सेसटेट द्वारा इसी तरह की टिप्पणी की गई है।

तत. वर्तमान जांच में पाटित आयात, पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटित आयातों की तुलना में पूर्ण रूप से और उत्पादन एवं खपत दोनों के संदर्भ में अधिक हैं।

यद्यपि प्राधिकारी ने उन आयातों को शुल्कों के विस्तार की आवश्यकता के लिए पर्याप्त पाया, तथापि वर्तमान जांच में यह माना है कि संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत कम है।

थथ. पहली निर्णायक समीक्षा में, बिक्री कीमत में गिरावट दूसरी निर्णायक समीक्षा में गिरावट से कम थी। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में आयातों को आयातों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव डालने वाला पाया। तथापि, एक तेज गिरावट को पर्याप्त संगत नहीं माना गया है।

दद. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने कोविड-19 की अवधि को अलग कर दिया, तथापि प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादन और बिक्री में गिरावट कोविड-19 के कारण हुई थी।

धध. दूसरी निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पहली निर्णायक समीक्षा में क्षमता उपयोग से कम है।

नन. प्राधिकारी ने कभी नहीं माना कि आयात में गिरावट भी कोविड-19 के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त कोविड और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है।

पप. पहली निर्णायक समीक्षा में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटित आयातों के बाजार हिस्से से कम था। तथापि, प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

फफ. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ और निवेश पर आय पहली निर्णायक समीक्षा और दूसरी निर्णायक समीक्षा में लगभग समान रेंज में हैं। यद्यपि पहली निर्णायक समीक्षा में इसे काफी गिरावट माना गया था, तथापि दूसरी निर्णायक समीक्षा में इसे उपयुक्त माना गया है।

बब. प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाया था कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई थी और घरेलू उद्योग को एक बार फिर पाटित आयातों से क्षति हुई थी। तथापि, जबकि घरेलू उद्योग ने दूसरी निर्णायक समीक्षा में लगभग समान स्तर का लाभ अर्जित किया है, प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग क्षति से ग्रस्त नहीं है।

भभ. वर्तमान मामले के तथ्य पिछली जांच के समान थे क्योंकि पाटन मार्जिन तेज हो गया था और पाटित आयात बढ़ गए थे, अतः प्राधिकारी ने शुल्कों के विस्तार के लिए अंतिम जांच परिणाम पर पहुंचने के लिए इसे पर्याप्त संगत नहीं माना।

मम. अधिशेष क्षमताओं का सामना करते हुए संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपने सामान को वैश्विक बाजार में पाटित करना जारी रखा है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है।

यय. प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाया था कि संबद्ध देशों में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख थे। तथापि, प्राधिकारी ने उन कारणों से जो अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, इसकी जांच न करना उचित समझा।

कककक. प्राधिकारी ने पिछली जांच में कीमत आकर्षकता पाई थी, तथापि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उस पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

खखख. वर्तमान जांच के तथ्यों में मूल मामले की तुलना में शुल्कों के विस्तार के लिए अधिक औचित्य था।

गगग. अधिकरण ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्राधिकारी ने मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए आंकड़े मांगे हैं और घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह संगत नहीं था और हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यह संगत था। इसके बाद प्राधिकारी ने जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया था, जिसे अधिकरण द्वारा इस मुद्दे के संबंध में सही ठहराया गया है।

घघघ. कई जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है।

ङङङ. फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में, क्षति मार्जिन नकारात्मक था, और जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों के बजाय तीसरे देश के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर संभावना सिद्ध की गई थी।

चचच. चीनी तैपई से नोनील फिनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की रिमांड बैक कार्यवाही में, प्राधिकारी ने जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों को वापस नहीं लिया और क्षति जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचे।

छछछ. यदि जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों का उद्देश्य शुल्क की समाप्ति के प्रभाव का पता लगाना है, तो प्राधिकारी को 21 अक्तूबर से मार्च, 2022 तक के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए।

जजज. वर्ष 2021-22 तक, पाटनरोधी शुल्क लागू था और आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से अधिक थी। घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा। यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में वृद्धि हुई, तथापि आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी, और पाटनरोधी शुल्क प्रचालन में नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत अब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री लागत और क्षति रहित कीमत से वास्तविक रूप से कम थी।

झझझ. आयात घरेलू उद्योग की कीमत कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयात अब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इनका घरेलू उद्योग की कीमत पर न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ञञञ. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। पिछली तिमाहियों में लाभ लगभग वर्तमान जांच की जांचावधि (पीओआई) और पिछली निर्णायक समीक्षा जांच के लाभ के समान था।

टटट. जांच के बाद की संगत अवधि को दो तिमाहियों में अलग करके विस्तार से देखा जाना अपेक्षित है। जांच की संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में निरंतर गिरावट आई है।

ठठठ. यदि जांच के बाद की अवधि में निष्पादन की तिमाही आधार पर जांच की जाती है, तो यह देखा जाएगा कि जैसे ही शुल्क समाप्त हुआ, वहां भारी गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक इस तरह की गिरावट तेज हो गई।

डडड. वर्तमान मामले में शुल्क अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद बाजार में कीमत में सुधार हुआ तथा आयात में वृद्धि हुई और कीमत कटौती सकारात्मक हो गई।

ढढढ. घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में इसकी कीमत में वृद्धि करने से रोका गया था।

णणण. यह देखते हुए कि 1.27 लाख मीट्रिक टन के क्षेत्र में आंकलित तीसरे देशों को पाटित, कीमत आकर्षण और क्षतिकारक निर्यात भारत में मांग से अधिक हैं, तीसरे देशों से काफी निर्यात भारत में आने की संभावना है।

ततत. यदि उत्पादक अपनी कीमतों को बनाए रखता है, तो ग्राहक सस्ते आयात पर चले जाएंगे और उत्पादक अपना ग्राहक आधार खो देंगे तथा इसका उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग घट जाएगा, और यह किफायत के लाभों को खो देंगे जिसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट लागत में वृद्धि होगी और यह हानि में चला जाएगा।

थथथ. यदि उत्पादक अपने ग्राहकों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकता है, तो उसे आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करनी होंगी। परिणामस्वरूप, आयात घरेलू उत्पादक की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास करेंगे और इसके लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय आदि को क्षति होगी तथा यह हानि में चला जाएगा।

ददद. शुल्क की समाप्ति के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट स्पष्ट रूप से शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना को सिद्ध करती है। जैसे ही शुल्क

समाप्त किया गया, घरेलू उद्योग को लागत वृद्धि के कारण कीमत वृद्धि लाने से रोका गया था।

धधध. चूंकि किसी भी रिपोर्ट ने इंडोनेशिया में उत्पादन और मांग के बारे में सूचना नहीं दी है, अतः घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन और मांग संबंधी सूचना के लिए इंडोनेशिया पीटी इंडो भारत रेयन में अपनी संबद्ध कंपनी द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास किया था। इंडोनेशिया में केवल 4 उत्पादक हैं, संबद्ध कंपनी के लिए अनुमानित आधार पर यह सूचना देना बहुत कठिन नहीं था।

ननन. पी.टी. इंडो भारत रेयॉन द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करते समय, यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया में कुल क्षमता निकालने में एशिया पेसिफिक रेयन की क्षमता पर विचार नहीं किया था। तथापि, इस तथ्य में पी.टी. इंडो भारत रेयॉन द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में विधिवत सराहा गया था।

पपप. हाल की अवधि में, जबकि पल्प की कीमतों में इस अवधि में लगभग 30% तक वृद्धि हुई है, वीएसएफ की कीमतों में गिरावट आई है।

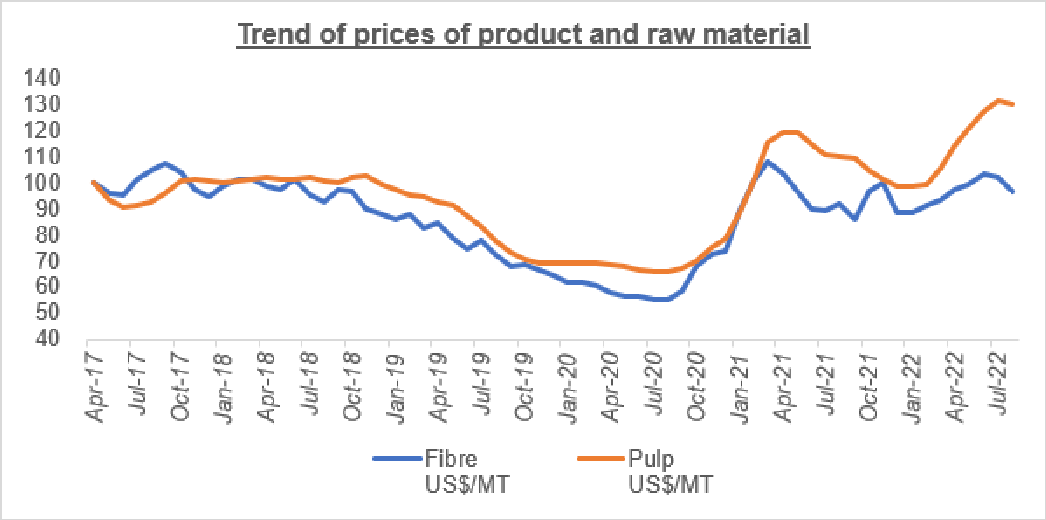

फफफ. चीनी उत्पादक अत्यधिक बेकार क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहे हैं और हानियों पर निर्यात कर रहे हैं।

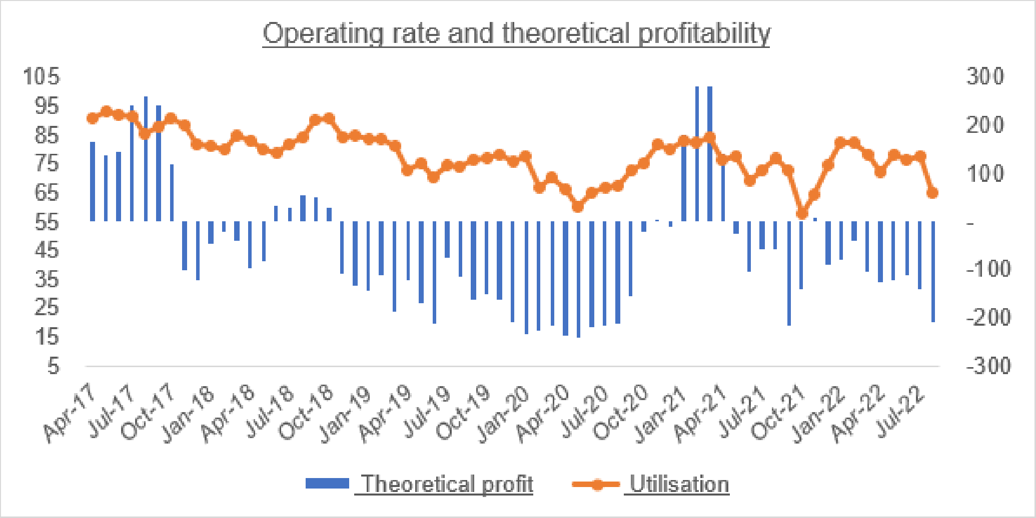

बबब. एसोसिएशन के नाम पर व्यक्त किए गए विचार इन एसोसिएशनों के सदस्यों से विचार प्राप्त किए बिना थे और इसमें पल्लव ग्रुप द्वारा अलग-अलग अभ्यावेदन शामिल हैं। वास्तव में, 100% स्पन यार्न का उत्पादन करने वाले फाइबर के उपभोक्ताओं ने पुष्टि की है कि उन्होंने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विरोध करने के लिए किसी एसोसिएशन अथवा निकाय को अधिकृत नहीं किया है, और इन सभी एसोसिएशनों ने स्पिनर्स से उचित प्राधिकार के बिना डीजीटीआर के समक्ष अभ्यावेदन किया है।

भभभ. इनमें से कुछ एसोसिएशन विस्कोस स्टेपल फाइबर से भी संबद्ध नहीं हैं। इनमें से किसी भी एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की राय जानने के बाद पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश/लगाए जाने का विरोध करने का निर्णय नहीं लिया है।

ममम. सीआईटीआई भारत के संपूर्ण कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र का उद्योग चैम्बर है, न कि विस्कोस को समर्पित संगठन। सीआईटीआई का प्राथमिक उद्देश्य कपास क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और इसे पहले इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता था।

ययय. इंडियन मैनमेड यार्न मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उन सदस्यों से संबद्ध है जो विस्कोस यार्न कताई में लगे हुए हैं और वर्तमान में इसके 50 सदस्य हैं। इस एसोसिएशन के 40 से अधिक सदस्यों ने वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का समर्थन किया है।

कककक. इंडियन टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन मुख्य रूप से कपास उद्योग से संबद्ध है और सदस्यों को सूचना साझा करने के लिए है।

खखखख. डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सीमित डेनिम विनिर्माताओं की एसोसिएशन है जो मुख्य रूप से कपास में है।

गगगग. सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन मुख्य रूप से कॉटन एसोसिएशन है, और केवल 3-5 विस्कोस स्पिनर इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं।

घघघघ. तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन ने ग्रासिम को सहमति दी थी कि वे पाटनरोधी शुल्क पर आपत्ति नहीं करेंगे, यदि उनके 50% से अधिक विस्कोस उपभोग करने वाले सदस्य शुल्क का समर्थन करते हैं। एसोसिएशन के 80-90% से अधिक सदस्यों ने शुल्कों के विस्तार का समर्थन किया है। अगर एसोसिएशन अब शुल्क का विरोध कर रही है, तो यह स्पष्ट रूप से उनके सदस्यों के विचार प्राप्त किए बिना है।

ङङङङ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन मुख्य रूप से उन लोगों की एसोसिएशन है जो पॉलिएस्टर में कार्य कर रहे हैं। विस्कोस स्टेपल फाइबर उनके सदस्यों के लिए प्राथमिक इनपुट नहीं है।

चचचच. पल्लव टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री चेरन सिंथेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड केवल एक ग्रुप का हिस्सा हैं और प्रभावी रूप से केवल एक ग्रुप है जिसने शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

छछछछ. लगभग 60% खपत वाले 40 से अधिक उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग का समर्थन किया है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

जजजज. अक्तूबर, 2021 - मार्च, 2022 की अवधि के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करने से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग की स्थिति एक बार फिर प्रतिकूल है।

झझझझ. चूंकि जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े मंगाने का उद्देश्य सबसे हाल की अवधि पर विचार करना है। प्राधिकारी ने अपने जांच परिणामों में नोट किया था कि जांच की अवधि के बाद की अवधि भी कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण प्रभावित हुई है। प्राधिकारी ने बाद की अवधि को तीन सेमेस्टर ["छमाही-1" - अक्तूबर, 20 - मार्च, 21, "छमाही-2" - अप्रैल - सितंबर, 21 और छमाही-3- अक्तूबर 21-मार्च, 22] में विभाजित किया है। छमाही-3 की अवधि निर्धारण के लिए आधार बननी चाहिए।

ञञञञ. बाजार की स्थिति न केवल छमाही-3 में, बल्कि उसके बाद भी खराब हुई। अप्रैल-जुलाई, 2022 की अवधि में आयात में काफी वृद्धि हुई है और अब यह उच्चतम स्तर पर है।

सभी आंकड़े वार्षिक आधार पर हैं

विवरण	**यूओएम**	**जांच की**	अक्तू., 20 -	अप्रैल -	अक्तू., 21-	अप्रैल से

		अवधि	मार्च, 21	सितंबर, 21	मार्च, 22	जुलाई, 2022
आयात मात्रा	मी. टन	22,185	21,582	10,861	16,524	44,622

टटटट. आयात की कीमतों को देखते हुए, सितंबर, 2022 के अनुमान बहुत धूमिल दिखाई देते हैं, और उद्योग को हानि होने की संभावना है।

ठठठठ. पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जबकि प्राधिकारी ने स्वयं उत्तरदाता उत्पादक को बेकार क्षमताओं के बिना प्रचालन करने के लिए पाया है। घरेलू उद्योग ने ऐतिहासिक रूप से 99% क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया है।

डडडड. नई क्षमता को पूरी तरह से स्थिर करने के बाद भी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ढढढढ. इस अनुरोध के संबंध में कि गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की अनदेखी की जानी चाहिए, यह अनुरोध है कि उत्पादन, बिक्री मात्रा, लागत, कीमत, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय से संबंधी अलग की गई सूचना अकेले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दी गई है। वैश्विक स्तर पर उत्पादकों की संयुक्त क्षमताएं हैं जिनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किया जा सकता है तथा आवेदक ने क्षमता उपयोग निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद दोनों के लिए सकल उत्पादन की सूचना दी है।

णणणण. कास्टिक सोडा डिवीजन की कीमतों में वृद्धि के कारण लाभ के अंतरण के संबंध में अन्य पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध है कि कैप्टिव उत्पादन के मूल्यांकन का मुद्दा निदेशालय द्वारा सुनिर्धारित है। डीजीटीआर ने सार्वजनिक रूप से एक पारदर्शी कार्यप्रणाली जारी की है जिसे ऐसे मामलों में लागू किया जा रहा है।

तततत. यद्यपि ग्रासिम कास्टिक सोडा के उत्पादन में भी लगी हुई है, तथापि कास्टिक सोडा और विस्कोस स्वतंत्र प्रचालन वाले दो अलग-अलग व्यापारिक क्षेत्रों में आते हैं। कंपनी निरंतर मूल्यांकन नीति का पालन करती है। ग्रासिम ने वर्ष 2014 में संशोधित 2001 के नीति दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराई जो कंपनी के कास्टिक डिवीजन से फाइबर डिवीजन तक सभी कास्टिक सोडा बिक्री के लिए इस अवधि के बाद से मूल्यांकन का आधार रहा है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, कास्टिक सोडा डिवीजन द्वारा फाइबर डिवीजन के लिए कास्टिक सोडा का सभी मूल्य निर्धारण कास्टिक सोडा के बाजार मूल्य पर आधारित है। वास्तव में, फाइबर डिवीजन को उस कीमत से अधिक छूट दी जाती है जिस पर कास्टिक सोडा डिवीजन इसे बाजार में बेचता है।

थथथथ. यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए गए उत्पादों का निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल उत्पाद के निष्पादन से बेहतर है, इस तथ्य के साथ कि घरेलू उद्योग को शामिल उत्पाद में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और बाहर किए गए उत्पाद में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करता, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्ति के बाद भी क्षति की संभावना सिद्ध करता है।

दददद. इस अनुरोध के संबंध में कि नया संयंत्र कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार ऑफ ग्रेड सामग्री प्रदान कर रहा है, किसी भी संयंत्र को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने से पहले निरंतर 80% से अधिक की क्षमता उपयोग पर संचालन करने की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले किसी भी उत्पादन को स्टार्ट-अप उत्पादन के रूप में माना जाता है। स्टार्ट-अप उत्पादन में कुछ ऑफ ग्रेड सामग्री हो सकती है, लेकिन इसमें प्रीमियम ग्रेड का उत्पादन भी शामिल हो सकता है। "तथाकथित डाउनग्रेडेड उत्पाद" वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने से पूर्व परीक्षण उत्पादन का भाग था। इस बिक्री और व्यय को आय विवरण में नहीं लगाया गया है। परीक्षण उत्पादन के दौरान फाइबर की बिक्री को पूंजीकृत किया गया था और लाभ एवं हानि खाते में नहीं लगाया गया था।

धधधध. यह अत्यधिक भ्रामक है कि मांग आपूर्ति का अंतर 40% है। आयातों के विश्लेषण से पता चलेगा कि आयात 26000 मी.टन से 27000 मी. टन के क्षेत्र में संचयी रूप से सकल मांग का 7% था। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में *** की मांग के विरुद्ध, उस अवधि में रिपोर्ट की गई क्षमताएं *** मी. टन की रेंज में थीं। घरेलू उद्योग ने और विस्तार किया है तथा इसकी क्षमता अब 7,92,750 मीट्रिक टन है।

नननन. प्रयोक्ता उद्योग ने 14% तक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो अत्यधिक बढ़ाई गई है। उत्पाद के इतिहास में मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति यह सिद्ध करेगी कि इतनी अधिक वृद्धि अतीत में नहीं हुई है, और इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र दस्तावेज नहीं है।

पपपप. विस्कोस स्टेपल फाइबर (गैर-विचारधीन उत्पाद सहित) की मांग कभी भी 625 केटी से अधिक नहीं थी और ग्रासिम की क्षमता कम से कम 600 केटी थी। यह देखा जाएगा कि मांग आपूर्ति का अंतर 40% के क्षेत्र में कभी नहीं था। वास्तव में, 40% की मांग आपूर्ति का अंतर लगभग 320 केटी का अंतर दर्शाता है। पिछले दस वर्षों में संचयी आयात इस क्षेत्र में नहीं थे।

फफफफ. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और वर्तमान क्षमता लगभग 820 केटी है तथा देश में मांग से काफी अधिक है।

बबबब. इस अनुरोध करने के संबंध में कि घरेलू उद्योग प्रचलित बाजार मूल्य पर 3% प्रीमियम वसूल करता है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाया था कि कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए बिना भी जांच की वर्तमान अवधि में नकारात्मक थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

अवधि	बिक्री कीमत	पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुँच कीमत	पाटनरोधी शुल्क सहित पहुँच कीमत	पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती
	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन
2005-06	***	***	***	***
2006-07	***	***	***	***
2007-08	***	***	***	***
अप्रैल, 08- दिसंबर, 08	***	***	***	***
2011-12	***	***	***	***
2012-13	***	***	***	***
2013-14	***	***	***	***
2014-15	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***
2018-19	***	***	***	***
2019-20	***	***	***	***
अक्तूबर, 19-सितंबर, 20	***	***	***	***
छमाही-2 2020-21 (वार्षिक)	***	***	***	***
छमाही-1 2021-22 (वार्षिक)	***	***	***	***
छमाही-2 2021-22 (वार्षिक)	***	***	***	***

भभभभ. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग वैश्विक वीएसएफ कीमतों की तुलना में काफी बेहतर बिक्री मूल्य प्राप्त करने में सक्षम है, यह अनुरोध किया जाता है कि तथ्य यह है कि प्राधिकारी द्वारा पाया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक है, जो दर्शाता है कि निर्यातक अपने घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत पर बिक्री कर रहे हैं और भारत को कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं।

मममम. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क की समाप्ति से यार्न के आयात में गिरावट आई है, तथ्य यह है कि औसत वीएसवाई आयात जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लग रहा था, 19,366 मीट्रिक टन (वर्ष 2009-10 से सितंबर, 2021 तक) के क्षेत्र में था। तथापि, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद और हाल की अवधि में यार्न के आयात में वृद्धि हुई है। शुल्क समाप्त होने के बाद हाल की अवधि में यार्न के आयात में गिरावट के बजाय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यार्न का

आयात बड़े पैमाने पर चीन जन. गण. से हुआ था, तथापि फाइबर के पाटित आयात बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया से हुए हैं।

ययय. पाटनरोधी शुल्क अवधि के दौरान खपत में वृद्धि सकारात्मक और काफी रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस शुल्क के कारण फाइबर और यार्न की वृद्धि प्रभावित नहीं हुई है। एक दशक में अन्य प्रकार के यार्न से विस्कोस यार्न में काफी क्षमता वृद्धि अथवा परिवर्तन हुआ है, जो यह भी दर्शाता है कि यार्न उद्योग तब विकसित हुआ है जब यह शुल्क लागू था। शुल्क अवधि के दौरान स्पिंडल की संख्या 1.5 मिलियन से बढ़कर 4 मिलियन हो गई है। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग में विगत में कोई एमवीएस (मुराता वोर्टेक्स स्पिनिंग) मशीन नहीं थी, जबकि हाल की अवधि में यह संख्या बढ़कर 520 हो गई है।

कककककक.यार्न के खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, फैब्रिक का उत्पादन भी मूल जांच के आधार वर्ष में लगभग 13 लाख मीटर प्रति माह से बढ़कर वर्तमान में लगभग 28 लाख मीटर प्रति माह हो गया है।

खखखखखख. खपत और फाइबर की कीमत के विश्लेषण से पता चलेगा कि फाइबर की खपत का फाइबर की कीमत के साथ कोई संबंध नहीं है। फाइबर की कीमत में वृद्धि के बावजूद फाइबर की खपत में काफी वृद्धि हुई और फाइबर की कीमत में गिरावट के बावजूद फाइबर की खपत में गिरावट आई।

क्रम सं.	**अवधि**	**मांग**	**बिक्री कीमत**
		मी. टन	**रु./मी. टन**
1	2005-06	2,23,345	***
2	2006-07	2,32,952	***
3	2007-08	2,44,482	***
4	अप्रैल, 08- दिसंबर, 08	2,14,508	***
5	2011-12	2,36,696	***
6	2012-13	2,45,115	***
7	2013-14	2,58,529	***
8	2014-15	3,05,437	***
9	2017-18	***	***
10	2018-19	***	***
11	2019-20	***	***
12	अक्तूबर, 19-सितंब, 20	***	***
13	छमाही-2 2020-21 (वार्षिक)	***	***
14	छमाही-1 2021-22 (वार्षिक)	***	***

15	छमाही-2 2021-22 (वार्षिक)	***	***

गगगगग.वीएसएफ मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आयात किया जाता है जहां सीमा शुल्क शून्य है, लेकिन यार्न 5% के सीमा शुल्क के अध्यधीन है, जबकि फैब्रिक और गारमेंट 20% के सीमा शुल्क के अध्यधीन हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद भी, यार्न उत्पादकों को निवल सकारात्मक सीमा शुल्क संरक्षण प्राप्त था। पिछले वर्षों में पाटनरोधी शुल्क की औसत मात्रा 6,774 रुपये प्रति मीट्रिक टन फाइबर थी, यार्न पर मूल सीमा शुल्क की औसत मात्रा 8,521 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद भी, यार्न उत्पादकों को निवल सकारात्मक सीमा शुल्क संरक्षण प्राप्त था।

वर्ष	**यार्न की कीमतें**	**सीमा शुल्क + उपकरण/ एसडब्ल्यूएस**	**फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क**	**अंतर**
	रु./मी. टन	**रु./मी. टन**	**रु./मी. टन**	**रु./मी. टन**
2011-12	1,93,859	9,984	4,862	5,122
2012-13	1,65,750	8,536	5,659	2,877
2013-14	1,72,221	8,869	6,243	2,626
2014-15	1,50,301	7,740	6,377	1,363
2015-16	1,53,482	7,904	6,779	1,126
2016-17	1,81,245	9,334	7,004	2,330
2017-18	1,78,176	9,176	6,727	2,449
2018-19	1,96,914	10,830	7,324	3,506
2019-20	1,62,979	8,964	7,386	1,578
2020-21	1,43,181	7,875	7,744	131

घघघघघ. यार्न उत्पादकों को फाइबर उत्पादकों की तुलना में अधिक संरक्षित किया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से यार्न की तुलना में फाइबर पर अधिक शुल्क का भुगतान नहीं हो रहा है।

ङङङङङ. फाइबर उत्पादक को उल्टे शुल्क ढांचे का सामना करना पड़ता है। जबकि इनपुट पर शुल्क की मात्रा 2.5% से 7.5% है, उत्पाद में इंडोनेशिया और थाईलैंड से आयात पर सीमा शुल्क की अधिमान्य दर है।

चचचचच. इंडोनेशिया की सकल घरेलू मांग केवल 400 केटी के आसपास है, इंडोनेशिया में संस्थापित क्षमता 875 केटी है। उत्पादकों का अपने उत्पादन का कम से कम

50% निर्यात करने का सांविधिक दायित्व है और वे इष्टतम क्षमता उपयोग को लक्षित करते हैं। इसलिए, वे निर्यातोन्मुख बने हुए हैं।

छछछछछ. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास और वृद्धि के व्यापक हितों की दिशा में कार्य किया है। निचले स्तर के उद्योग में ग्रासिम के योगदान को स्वीकार करते हुए निचले स्तर की मूल्य श्रृंखला के उद्योग से पत्र प्रदान किए गए हैं।

जजजजज. कुल टेक्सटाइल में विस्कोस की हिस्सेदारी 3% (वर्ष 2015 में) से बढ़कर वर्तमान में 6% हो गई है और पाटनरोधी शुल्क के बावजूद विस्कोस में अन्य टेक्सटाइल की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई है।

झझझझझ. क्लॉथ की अंतिम कीमत में विस्कोस का हिस्सा मुश्किल से 5% है, और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.25% से कम है।

ञञञञञ. ग्रासिम न केवल क्षमता वृद्धि में निरंतर निवेश कर रहा है, बल्कि उसने उत्पाद और कौशल विकास में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी किया है, जिसका लाभ स्पिनर्स सहित निचले स्तर के उद्योग द्वारा लिया गया है। स्पिनर्स की एमएसएमई प्रकृति को देखते हुए, वे ये प्रयास भी नहीं कर सकते थे। अन्य के साथ-साथ यह ऐसे प्रयास हैं, जो यार्न उद्योग की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

टटटटट. ग्रासिम की क्षमता कौशल विकास में 1200 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त 7,187 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के माध्यम से वर्ष 2010-11 में 3,33,975 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान में 8,10,000 मीट्रिक टन हो गई है। ।

ठठठठठ. यदि पाटनरोधी शुल्क यार्न के आयात में वृद्धि का कारण होता, तो शुल्क की समाप्ति से यार्न के आयात में गिरावट आती। तथापि यार्न का आयात बढ़ा है। जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था, तब यार्न का आयात अत्यधिक सीमित था। जब उत्पाद अब पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं है, तो यार्न के आयात में काफी वृद्धि हुई है।

डडडडड. लकी यार्न टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोथी स्पिनर प्राइवेट लिमिटेड, के एंड एच टेक्सटाइल्स, मेहला मिल्स चेंदूर मुरुघन यार्न टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारतीस्पिनटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अरुपडाईअरुलमुरुगन स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड, धनलक्ष्मी सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड, जीवीएस स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, राइनाइल माइक्रो फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड, हरिहरन स्पिनर्स (आई) प्रा. लिमिटेड, श्री हरिप्रसथ टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड, विक्ट्री स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अरुणाचल गौंडर टेक्सटाइल्स (एजीटी) मिल्स, अनंगूर टेक्सटाइल्स मिल्स (पी) लिमिटेड, यूनिट-II, चोल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री छोलेश्वरर

स्पिनिंग मिल्स, धरनी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनेशराजा स्पिनटेक्स, हरि कृष्णा स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, श्री हरिवल्लबी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयश्री वीव्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, श्री जया मारुति यार्न इंडिया प्रा. लिमिटेड, जेपीपी मिल्स प्रा. लिमिटेड, श्री करवेम्बु टेक्सटाइल्स पी लिमिटेड, के.के.पी. टेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड, के.पी.एन. टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कुमारगिरि स्पिनर्स (प्रा.) लिमिटेड, कुरिंजी स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल मिल्स, मौली स्पिनर लिमिटेड, श्री नल्लाथल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पावथल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, श्री संथानालक्ष्मी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, सरवनगिरी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, शिव गेन्स स्पिनिंग मिल्स (पी) लिमिटेड, श्रीमौली एक्सपोर्ट, श्री विनयखा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री थिरुमलाई बालाजी स्पिनिंग मिल्स कुछ ऐसे प्रयोक्ता हैं जिन्होंने शुल्क का समर्थन किया है।

ढढढढढ. विकास सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वनिता टेक्सटाइल्स, श्री विष्णु वीविंग वर्क, शांतिपुर हैंडलूम इनोवेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, संतोष सूटिंग्स, राजकरिश्ना वीव प्राइवेट लिमिटेड, एनईएचएचडीसी लिमिटेड, नटराज टेक्सटाइल्स, नाबार्ड, लॉयल सुपर फैब्रिक्स, कच्छ वीवर्स एसोसिएशन, केएन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिंदबा प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा टेक्सप्रिंट्स (ओवरसीज) लिमिटेड, गुप्ता एक्जिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जी.टी. प्रोसेस, फैब्रिक प्लस, एलमपिल्लई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बालगोपाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अर्थनारी क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड, बद्रीविशाल फैशनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विष्णु डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स, एस.एस.एम. प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड, श्री शक्ति विनयगर वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन, एसपी केएनआईटी इंडस्ट्रीज, मेवाबा फैशन क्रेटेक्स, द मैट्रिक्स एंटरप्राइजेज, ग्रुरुकरुन्ना टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्ज़िम निट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंटीन्यूअस डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, बैनबरी एक्सपोर्ट्स, इचलकरंजी शटललेस फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मूल्य श्रृंखला के कुछ ऐसे प्रयोक्ता हैं, जिन्होंने वृद्धि के निमित्त निचले स्तर के उद्योग के योगदान को स्वीकार किया है।

णणणणण. मोथी स्पिनर ग्रुप, चोला स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चेरन ग्रुप, जेपीपी मिल्स प्रा. लिमिटेड, अरुणाचल गौंडर टेक्सटाइल्स (एजीटी) मिल्स, मौली स्पिनर्स, धनलक्ष्मी सिंथेटिक्स, आकाशी स्पिनिंग मिल्स, जीवीएस स्पिनर्स ग्रुप, आधार स्पिनर्स, श्री जया मारुति यार्न इंडिया प्रा. लिमिटेड, कुमारगिरी स्पिनर्स (प्रा) लिमिटेड, सरवनगिरी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री हरिप्रसाद टेक्सटाइल्स कुछ ऐसे प्रयोक्ता हैं जिन्होंने यह उल्लेख किया है कि एसोसिएशन ने प्राधिकारी के समक्ष शुल्क का विरोध करने वाला अभ्यावेदन दायर करने से पूर्व सदस्य के विचार नहीं मांगे। इसके अतिरिक्त, इन प्रयोक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

73. रिमांड जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक का यह दावा कि वर्तमान रिमांड कार्यवाही का क्षेत्र यह तय करने के लिए सीमित होना चाहिए कि क्या 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, गलत है। यदि ऐसा होता, तो सेसटेट ने विशेष रूप से टिप्पणी की होती कि रिकॉर्ड में दी गई सूचना के अनुसार क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की स्पष्ट संभावना है और मामले को पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा होता और क्या 5 वर्ष अथवा उससे कम की पूरी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क उपयुक्त होगा।

ख. सेसटेट ने विशेष रूप से प्राधिकारी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या क्षति की संभावना पर्याप्त है ताकि आगे की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके।

ग. सेसटेट ने विशेष रूप से प्राधिकारी को 'नए सिरे से' जांच परिणाम निकालने का निर्देश दिया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

घ. नए सिरे से क्षति की संभावना की जांच के लिए सेसटेट का निर्देश किसी विशिष्ट प्रतिबंध अथवा शर्तों के अध्यधीन नहीं है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि क्षति की संभावना की नई जांच कतिपय सीमाओं के अध्यधीन है और/अथवा यह कि

हितबद्ध पक्षकारों को कुछ तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं है, गलत है।

ङ. पाटन की संभावना की पुन: जांच के लिए कोई निर्देश नहीं है और इसलिए तीसरे देशों को पाटित निर्यात के आधार पर पाटन की संभावना की पुन: जांच वर्तमान रिमांड कार्यवाही में असंगत है।

च. जब संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं होती है तो अन्य मानदंड जैसे कि निर्यातोन्मुखता, क्षतिकारक निर्यात, क्षमता विस्तार, कीमत आकर्षकता आदि सीमित हैं अथवा क्षति की संभावना की जांच के लिए कोई संगतता नहीं है।

छ. पीटी एशिया पैसिफिक रेयन एक नया उत्पादक है जिसने वर्ष 2019 में उत्पादन शुरू कर दिया है और इसलिए इसे तुरंत 100% क्षमता उपयोग प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

ज. यह कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। वे जांच की अवधि के बाद की अवधि में इष्टतम क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं।

झ. तीसरे देशों को निर्यात की औसत कीमत जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भारत को निर्यात की औसत कीमत से निरंतर अधिक है।

ञ. हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट और रेड बुक वुड मैकेंज़ी रिपोर्ट का संगत अगोपनीय सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ट. इंडोनेशिया सरकार समझती है कि हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट और रेड बुक वुड मैकेंज़ी रिपोर्ट से उद्धृत आंकड़ों में हेरफेर किया गया है और अविश्वसनीय हैं।

ठ. हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट इंडोनेशिया में "समग्र रूप से वीएसएफ" के लिए क्षमता को संदर्भित करती है न कि विचाराधीन उत्पाद को। हॉकिन्स रिपोर्ट वीएसएफ क्षमता और उत्पादन के आंकड़ों की गणना में 6 किस्मों को अलग किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ड. यह स्वीकार किया जाता है कि इंडोनेशिया गणराज्य में वीएसएफ के उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना "उद्योग अनुमान" के अनुसार है और इन रिपोर्टों पर आधारित नहीं है। घरेलू उद्योग ने भी इस तरह के उद्योग अनुमान निकाली के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

ढ. इंडोनेशिया में वीएसएफ की क्षमता और उत्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा देखे गए आंकड़ों में बिना किसी औचित्य के निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान

परिवर्तन हुए। यद्यपि हॉकिन्स राइट रिपोर्ट को इंडोनेशिया में वीएसएफ की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रकटन विवरण में नोट किया गया था, तथापि जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित आंकड़े बिना किसी स्पष्टीकरण के बढ़ाए गए:

(i) इंडोनेशिया में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता
(ii) इंडोनेशिया में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अधिशेष क्षमता

ण. हॉकिन्स राइट की रिपोर्ट सितंबर, 2020 की है। यह दावा नहीं कर सकती कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता के संबंध में दी गई सभी सूचना वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

त. प्राधिकारी को हॉकिन्स राइट रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षमता और उत्पादन के बारे में सूचना असत्यापनीय है तथा निजी तीसरे पक्षकार के स्वामित्व में है जो प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह अथवा उत्तरदायी नहीं है। इसमें घरेलू उद्योग के संबद्ध पक्षकारों की क्षमता शामिल है और यह आंशिक रूप से कुल क्षमता की भावी धारणाओं पर आधारित है।

थ. चीन जन. गण. में मांग में कोई गिरावट नहीं आई है जो भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को दर्शाए। आवेदक द्वारा दिए गए चीन जन. गण. में मांग के अनुमान के अनुसार, आने वाले वर्षों में चीन जन. गण. में वीएसएफ की मांग में वृद्धि हुई है।

द. चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है जो भविष्य में बाजार के नुकसान अथवा निर्यात में परिवर्तन की संभावना को दर्शाए।

ध. अधिशेष क्षमताओं की अनुपस्थिति क्षति की संभावना के आकलन के लिए एक संगत कारक है क्योंकि यह दर्शाता है कि उनके पास भारत में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई लचीलापन नहीं है, भले ही पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाए।

न. इंडोनेशिया सरकार इस बात से अवगत है कि इंडोनेशिया में उत्पादक/निर्यातक अपनी निर्यात बिक्री पर लाभ उठा रहे हैं।

प. यह नहीं माना जा सकता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातक भारत में अपने निर्यात को केवल इसलिए भेजेंगे क्योंकि भारत को निर्यात कीमत तीसरे देशों को निर्यात कीमत से कुछ अधिक है। उनके पास विभिन्न देशों में अपना सुस्थापित

ग्राहक आधार है और उत्तरदाता के लिए इन देशों में अपने ग्राहक आधार को छोड़ना संभव अथवा वांछनीय नहीं होगा।

फ. भारत को छोड़कर किसी भी देश ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात पर व्यापार सुधार उपाय अथवा किसी अन्य प्रकार के आयात प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इसलिए, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तीसरे देश के बाजारों तक पहुंच प्रतिबंधित है।

ब. क्षति की संभावना की जांच के लिए अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2022 तक के जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संगत होंगे। 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संबद्ध देशों से भारत में आयात की स्थिति और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति भी दर्शाएंगे जब कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था।

भ. अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2020 में तीसरे देशों को निर्यात पैटर्न के आधार पर जुलाई-अगस्त, 2022 में प्राधिकारी द्वारा भारत में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आकलन प्रतिनिधिकारक नहीं होगा।

म. वीएसएफ बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के बारे में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध 6 अगस्त, 2021 को सीसीआई रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्ष 2017-18 की अवधि को शामिल करने वाली सीसीआई रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि ग्रासिम ने भारत में विस्कोस स्टेपल फाइबर बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करना जारी रखा है।

य. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में वीएसएफ के आयातों में भारी गिरावट आई है।

कक. संबद्ध देशों में वीएसएफ के उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को वीएसएफ के अपने निर्यात में वृद्धि नहीं कर रहे हैं जैसा कि घरेलू उद्योग ने आशंका जताई है। स्पष्ट रूप से, भारत संबद्ध देशों में वीएसएफ उत्पादकों के लिए केंद्रित बाजार नहीं है।

खख. 1 अक्तूबर, 2020 - 31 मार्च, 2021 (6 माह) की तत्काल जांच की अवधि के बाद की अवधि में विस्कोस क्षेत्र के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

गग. पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के कारण घरेलू उद्योग पर कोई मात्रात्मक प्रभाव अथवा कीमत प्रभाव नहीं है। पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

घघ. पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के कारण घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं है। पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू बिक्री वसूली और आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है।

ङङ. जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में विस्कोस क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है।

चच. अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट इस अवधि के दौरान क्षमता में नई वृद्धि के कारण ब्याज लागत में अचानक वृद्धि और मूल्यह्रास के कारण है।

छछ. प्राधिकारी को भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान निर्यात की वास्तविक मात्रा पर विश्वास करना चाहिए ताकि यह जांच की जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के कारण भारत को निर्यातों में कोई वृद्धि हुई है।

जज. चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात, यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी, नगण्य थे और भारतीय मांग का 1% से भी कम थे।

झझ. क्षति की संभावना की जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार जैसे कारकों की जांच भी शामिल होनी चाहिए।

ञञ. जांच की अवधि में पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 35 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इसी अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगभग 16% तक वृद्धि हुई। शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू बिक्री में 9% तक वृद्धि हुई, जबकि निर्यात बिक्री में लगभग 269% तक वृद्धि हुई।

टट. घरेलू उद्योग के मूल्यह्रास और वित्त लागत में नए निवेश के कारण वृद्धि हुई है और इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट को संबद्ध देशों से आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ठठ. पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

डड. ट्रेड मैप आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपलब्ध सूचना विचाराधीन उत्पाद को अलग किए जाने के लिए लेखांकन के बिना संपूर्ण एचएस कोड 55041000 के लिए इंडोनेशिया द्वारा समेकित निर्यात है।

ढढ. प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की आधार अवधि के रूप में जांच की अवधि के आंकड़ों के साथ तुलना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि क्या क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार की कोई संभावना है।

णण. घरेलू उद्योग किसी भी समय 100% पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि रखरखाव कार्यक्रम आदि के कारण कई नियोजित और अनियोजित ठहराव हो सकते हैं। 90% से अधिक की किसी भी प्रचालन क्षमता को अच्छा माना जा सकता है।

तत. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में 792 केटीपीए के रूप में उनकी संस्थापित क्षमता और अधिक आयातों के कारण उनका उपयोग 92% से गिरकर 83% हो गया है। लेकिन सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की उपलब्ध क्षमता संस्थापित क्षमता से काफी कम होनी चाहिए क्योंकि नई क्षमताएं अभी संस्थापित की जा रही हैं।

थथ. ग्रासिम अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल दिनांक 14.02.2022 में उल्लेख है कि 110 केटीपीए की पहली नई लाइन केवल वर्ष 2021 के नवंबर माह में चालू की गई थी और 110 केटीपीए की दूसरी लाइन फरवरी, 2022 के मध्य में चालू की गई थी। नई क्षमता को चालू करने की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए, नई क्षमता संस्थापित करते समय आने वाली आरंभिक कठिन चुनौतियों को ध्यान में रखे बिना भी वास्तविक संस्थापित क्षमता निम्नलिखित होनी चाहिए। यह दर्शाएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की दूसरी छमाही में गैर-विचाराधीन उत्पाद सहित संपूर्ण रेटेड क्षमता 703 केटीपीए से अधिक नहीं हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी छमाही	
माह	**क्षमता (केटीपीए)**
अक्तूबर, 21	591
नवम्बर, 21	646
दिसम्बर, 21	701
जनवरी, 22	701
फरवरी, 22	756
मार्च, 22	824
औसत	703

दद. लियोसेल की क्षमताएं कवकनाशी नहीं हैं और इसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है तथा इसे केवल लियोसेल के उत्पादन के लिए ही समर्पित किया जाना होता है।

धध. घरेलू उद्योग गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता का 25-30% उपयोग कर रहा है क्योंकि वे बेहतर मार्जिन अर्जित करते हैं, और उनका लक्ष्य हमेशा गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन को अधिकतम करना रहा है।

नन. कास्टिक सोडा विचाराधीन उत्पाद के लिए इनपुट की एक महत्वपूर्ण लागत होने के कारण पूरी तरह से कैप्टिव है और घरेलू उद्योग देश में कास्टिक सोडा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यद्यपि जांच की अवधि के बाद बेचे गए सामान की लागत में अचानक वृद्धि हुई है, तथापि कास्टिक सोडा की लाभप्रदता में तेजी से वृद्धि हुई है।

पप. घरेलू उद्योग ने अपने कैप्टिव स्रोत से आपूर्ति किए गए अपने कास्टिक सोडा के लिए उच्च लागत वसूल कर कृत्रिम क्षति पैदा की है और अपने लाभों को वीएसएफ डिवीजन तथा कास्टिक सोडा डिवीजन के बीच लगाया है।

फफ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बिक्री मूल्य में केवल 12% तक वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने पिछले 6 माह (अर्थात् सितंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक) के दौरान ग्रे फाइबर की कीमतों में 27% तक वृद्धि की है। मार्च

बब. संबद्ध देशों से आयातों में मात्रा और बाजार हिस्से के लिहाज से भी वास्तव में कमी आई है। थाईलैंड में घरेलू उत्पादक के संबंधित पक्षकार ने आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए थाईलैंड से अधिक निर्यात किया है। यद्यपि आयात में कमी आई है, तथापि जांच की अवधि के बाद की अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22) में घरेलू उद्योग के लिए लाभ में गिरावट का कारण पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने के कारण नहीं होना चाहिए।

भभ. भारत में घरेलू वीएसएफ आवश्यकता के लिए मौजूदा और प्रचलित मांग आपूर्ति अंतराल था, जो कि 40% था। 220 केटीपीए की नई क्षमता वृद्धि से घरेलू उद्योग केवल कुछ हद तक ही पिछले मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने में सक्षम है लेकिन पूरी तरह से नहीं।

मम. क्षमता विस्तार के बाद घरेलू उत्पादक भारत में अपनी कुल बिक्री का 94 प्रतिशत पहले ही बेच रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग स्वयं वीएसएफ की मांग के 14% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, तथापि न तो कोई मौजूदा क्षमता उपलब्ध है और न ही क्षमता वृद्धि की कोई योजना है।

यय. किसी भी नियोजित क्षमता वृद्धि को उत्पादन में आने में कम से कम 3-4 वर्ष लगते हैं। घरेलू उद्योग की अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं होने के कारण, अगले 3-4 वर्षों के लिए कुल भारतीय क्षमता 824 केटीपीए पर स्थिर रहने की संभावना है।

ककक. घरेलू उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2015 की पहली निर्णायक समीक्षा बनाम वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही के बाद निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किए हैं:

- वीएसएफ की उत्पादन क्षमता में 2x तक वृद्धि

- वीएसएफ की घरेलू बिक्री मात्रा में 2.5x तक वृद्धि
- वीएसएफ डिवीजन के ईबीआईटीडीए में 4x तक वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2015 बनाम वित्तीय वर्ष 2022)
- वीएसएफ डिवीजन में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल ईबीआईटीडीए अर्जित किया

खखख. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू था, तथापि ग्रासिम ने दोहरी कीमत नीति अपनाई, एक घरेलू खपत के लिए (अंतर्राष्ट्रीय कीमत + पाटनरोधी शुल्क प्रीमियम) और एक विशेष कीमत निर्धारण जिसे डीम्ड प्राइसिंग पॉलिसी (अंतर्राष्ट्रीय कीमत की समतुल्य कीमत) के रूप में जाना जाता है, जहां यार्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने ग्राहकों को उनकी घरेलू कीमत से अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी। ग्राहक निर्यात का प्रमाण सिद्ध करने के बाद इस अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं। अगस्त, 2021 में वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क को हटाने से इस दोहरे कीमत निर्धारण को धीरे-धीरे विचाराधीन उत्पाद के लिए समाप्त कर दिया गया है। अब भी, घरेलू उद्योग स्थानीय स्तर पर खरीदारी की सुविधा के लिए उचित प्रीमियम वसूल करने में सक्षम है।

गगग. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू था, तथापि अकेले घरेलू उद्योग दोहरे अंकों का मार्जिन अर्जित कर रहा था, जबकि उनके ग्राहकों और उसके बाद की मूल्य श्रृंखला को 5% का भी पीबीआईटी अर्जित करना मुश्किल हो रहा था।

घघघ. वीएसएफ पर पाटनोधी शुल्क को हटाने से, भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वीएसएफ की उपलब्धता से प्रयोक्ता उद्योग को निश्चित रूप से लाभ हुआ है।

ङङङ. यदि वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो आने वाले वर्षों में वीएसवाई के आयात में वृद्धि होगी, और वीएसवाई के निर्यात में कमी आएगी। पाटनरोधी शुल्क पूरी मूल्य श्रृंखला को अप्रतिस्पर्धी बना देगा क्योंकि इससे भारतीय टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला में गंभीर व्यवधान पैदा होगा।

चचच. सीसीआई की खोज से पता चलता है कि ग्रासिम ने निम्नलिखित परिपाटियों को अपनाया:

- कीमतों और छूट के बारे में उनके कर्मचारियों द्वारा हमेशा फोन पर ग्राहकों को सूचित किया जाता है।
- कीमतों का लगभग 15% ग्रासिम द्वारा वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति की जाने वाली छूट के रूप में रोक दिया गया था।

- ग्रासिम ग्राहकों को पेनल्टी क्लॉज के साथ वार्षिक संविदा के साथ बंद कर देता है ताकि ग्राहक आपूर्तिकर्ताओं को स्विच न कर सकें, भले ही उनकी कीमतें प्रतिस्पर्धी न हों।
- यदि ग्रासिम अपने स्वयं के कारणों से ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है तो ग्राहकों को कम आपूर्ति स्वीकार करनी होगी।
- जैसा कि सीसीआई के निष्कर्षों से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह प्रचलित बाजार कीमतों पर 3% तक प्रीमियम वसूल करता है।

छछछ. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए नाममात्र कीमत से अधिक प्रीमियम वसूलने के लिए पाटनरोधी शुल्क का उपयोग कर रहा है।

जजज. घरेलू उद्योग अब भी न केवल प्रयोक्ता उद्योग को नियंत्रित करने के लिए, बल्कि वीएसएफ आधारित मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रभावी स्थिति का प्रयोग कर रहा है।

झझझ. घरेलू उद्योग ने पहले ही 11 वर्षों के लिए वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। घरेलू उत्पादक ने पाटनरोधी शुल्क का उपयोग केवल प्रयोक्ता उद्योग और मूल्य श्रृंखला के खर्चे पर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया है।

ञञञ. वीएसएफ की कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि का भारत की अधिकतर घरेलू आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

टटट. यद्यपि आयात (बाजार के आकार के 4% से कम) बहुत कम हैं और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तथापि वे स्पष्ट क्षति का दावा करके अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। कृत्रिम क्षति क्षमता, उपयोग, बिक्री लागत, बिक्री मूल्य और आरओसीई के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बनाई गई है।

ट.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

74. रिमांड जांच के क्षेत्र के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेसटेट ने प्राधिकारी को एक नया जांच परिणाम देने का निर्देश दिया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी ताकि पाटनरोधी शुल्क अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाना आवश्यक हो।

75. सेसटेट ने प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना को छोड़कर निर्णायक समीक्षा जांच के किसी अन्य पहलू की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है। इस रिमांड की कार्यवाही में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस पहलू का विरोध नहीं किया गया है और तदनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान रिमांड कार्यवाहियों के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में केवल अनुरोध किये हैं।

76. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के निर्धारण से संबंधित सभी अनिवार्य तथ्य जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और जो प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये हैं, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में प्रकट किए गए हैं।

77. प्राधिकारी ने रिमांड जांच प्रक्रिया के दौरान तथ्यों और रिकॉर्ड में मौजूद सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर और सेसटेट द्वारा अपने दिनांक 19 मई, 2022 के आदेश द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद क्षति की संभावना के संबंध में जांच की है।

78. प्राधिकारी ने वर्तमान रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की है। अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2022 तक 18 माह की जांच की अवधि के बाद की अवधि की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है क्योंकि इस अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े वर्तमान रिमांड जांच के दौरान उपलब्ध थे। इस अवधि में सितंबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि भी शामिल है जब संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था।

79. इस तरह की संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारक दिए गए हैं जो क्षति के खतरे के लिए संगत हैं और उन्हीं कारकों का उपयोग प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः निर्णायक समीक्षा में संभावित विश्लेषण के लिए भी किया जाता है:

(क) भारत में पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी तथा

(घ) उस वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो।"

80. सेसटेट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (vii) उन कारकों की एक विस्तृत सूची नहीं है, जिनकी प्राधिकारी को क्षति की संभावना के संबंध में जांच करने की आवश्यकता हो, प्राधिकारी ने उन अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिनका घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप क्षति की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो।

81. आवेदक ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का दावा करने के उद्देश्य से *हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट* पर विश्वास किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का निर्धारण करने के उद्देश्य से इन रिपोर्टों के उपयोग पर आपत्ति की है।

82. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं की मौजदूगी के संबंध में *हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट* से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की समीक्षा की है।

83. विशेष रूप से इंडोनेशिया के लिए क्षमता और उत्पादन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा *हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट* से केवल कुल क्षमता के बारे में सूचना दी गई है। *हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट अथवा वुड मैकेंज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट* से कुल मांग और कुल उत्पादन के बारे में सूचना नहीं दी गई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया के लिए कुल मांग और कुल उत्पादन के संबंध में सूचना उद्योग के अनुमान पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने

यह भी अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में कुल मांग और कुल उत्पादन के संबंध में संगत सूचना इंडोनेशिया में घरेलू उद्योग पीटी इंडो भारत रेयन के संबद्ध उत्तरदाता उत्पादक द्वारा दी गई थी।

84. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि उनके द्वारा दी गई संबद्ध देशों में क्षमता के संबंध में सूचना समग्र रूप से विस्कोस स्टेपल फाइबर क्षेत्र के संबंध में है और इसमें गैर-विचाराधीन उत्पाद (वीएसएफ की अलग की गई किस्में) भी शामिल हैं। यद्यपि प्राधिकारी को केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमता निर्धारित करने की आवश्यकता है, तथापि यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद की क्षमता का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग किया जा सकता है और यहां तक कि उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के संयंत्र और सकल उत्पादन की क्षमता के आधार है। प्राधिकारी ने क्षति आकलन के प्रयोजन के लिए सकल उत्पादन पर विचार करके घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग का निर्धारण किया है।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि इंडोनेशिया में सभी उत्पादकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और संगत सूचना दी है, अतः इंडोनेशिया में क्षमता के संबंध में तीसरे पक्षकार की सूचना पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। तथापि, जहां तक चीन का संबंध है, उत्तरदाता उत्पादक समूह स्वीकार्य रूप से चीन में प्रमुख क्षमता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता उत्पादक समूह वास्तव में अपने उत्पादन का 95% से अधिक घरेलू बाजार में बेच रहा है और चीन से निर्यात की तुलना में इसका अपना निर्यात बहुत कम है। उत्तरदाता चीनी उत्पादक समूह ने समग्र रूप से चीन के संबंध में सूचना नहीं दी है और मात्रात्मक साक्ष्य नहीं दिया है कि चीन में क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना अविश्वसनीय क्यों है। यह देखा जाता है कि चीन से अधिकतर निर्यात (85% से अधिक) असहयोगी चीनी उत्पादकों द्वारा किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, असहयोगी चीनी उत्पादकों के पास क्षमता चीनी क्षमता का लगभग 70% है। इसलिए, जहां तक चीन का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि एकमात्र उत्तरदाता उत्पादक समूह से संबंधित सूचना क्षमता, चीन से निर्यात, पाटित, चीन से क्षतिकारक और आकर्षक निर्यात के संबंध में संभावना का निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त है।

86. इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा दी गई क्षमताओं और अधिशेष क्षमताओं के बारे में सूचना में इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पादकों की क्षमताएं और अधिशेष क्षमताएं शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता और अधिशेष क्षमता को पाटित आयातों में वृद्धि की संभावना का आकलन करने के लिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसी संभावना, यदि कोई हो, स्व-प्रभावित होगी।

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के केवल तीन उत्पादक हैं जो व्यापारिक बाजार में उत्पाद का प्रचालन और बिक्री कर रहे हैं। इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के ये तीन उत्पादक हैं (i) पीटी एशिया पैसिफिक रेयान (ii) पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस और (iii) पीटी इंडो भारत रेयन। इंडोनेशिया में इन तीनों उत्पादकों ने जांच में भाग लिया और सहयोग किया। इन तीनों कंपनियों ने संबंधित जांच में संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने हॉकिन्स राइट रिपोर्ट में सूचित की गई क्षमताओं की इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तुलना भी की है। यह पाया गया है कि हॉकिन्स राइट रिपोर्ट में सूचित की गई इंडोनेशियाई क्षमता और इंडोनेशियाई उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर में सामंजस्य है।

88. घरेलू उद्योग ने वर्तमान रिमांड जांच में इंडोनेशिया में चौथे उत्पादक, पी.टी. श्री रेजेकी इस्मान (श्रीटेक्स) की तथाकथित मौजूदगी का आरोप लगाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्रीटेक्स इंडोनेशिया में यार्न और निचले स्तर के उत्पादों का एक प्रसिद्ध उत्पादक और निर्यातक है। श्रीटेक्स की वेबसाइट यह भी नोट करती है कि यह यार्न और निचले स्तर के उत्पादों यथा टेक्सटाइल और गारमेंट का उत्पादक और निर्यातक है। श्रीटेक्स की वेबसाइट में यह उल्लेख नहीं है कि यह विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादक और विक्रेता है। घरेलू उद्योग ने भी अपने दावे के लिए कोई विशिष्ट स्रोत नहीं दिया है कि श्रीटेक्स विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है।

89. अतः, प्राधिकारी के पास समग्र रूप से इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और अधिशेष क्षमता के संबंध में पूरी सूचना है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि इंडोनेशिया में भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सत्यापित सूचना पर इंडोनेशिया में अधिशेष क्षमता का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया जाना चाहिए। जहां तक चीन का संबंध है, चूंकि उत्तरदाता उत्पादक समूह चीन में ज्ञात क्षमताओं के केवल लगभग 30% का ही प्रतिनिधित्व करता है,

अतः समूह से निर्यात चीन से निर्यात का 15% से कम है, और इसकी बिक्री का 95% से अधिक घरेलू बाजार में है, संभावना निर्धारित करने के लिए इन उत्पादक समूह से संबद्ध सूचना अपर्याप्त है।

ज.3.5. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों की संभावना

90. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि (वार्षिक)**	**अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021**	**अक्तूबर, 2021 से सितंबर, 2022 (वार्षिक)**
1	संबद्ध देश	मी. टन	15,429	25,290	24,799	22,185	16,808	18,554
	चीन जन. गण.	मी. टन	1,223	2,337	4,340	2,816	816	1,110
	इंडोनेशिया	मी. टन	14,206	22,953	20,459	19,368	15,992	17,443
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात							
	भारतीय उत्पादन	%	100	134	122	110	84	78
	खपत	%	100	127	116	108	78	78

91. यह देखा जा सकता है कि:

क. पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान आयातों में गिरावट आई है। जांच की अवधि (वार्षिक) की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में और गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में आयात बढ़े हैं।

ख. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि (वार्षिक) और पिछले 3 वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि अप्रैल-जुलाई, 2022 में आयात की मात्रा 44,622 मीट्रिक टन (वार्षिक आधार पर) थी और यह ऐतिहासिक रूप से उच्चतम मात्रा है।

ज.3.6. अधिशेष क्षमता

94. संबद्ध देशों के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है: -

<u>जांच की अवधि</u>

विवरण	**क्षमता (मी. टन)**	**उत्पादन (मी. टन)**	**क्षमता उपयोग (मी. टन)**	**अधिशेष क्षमता**	**अधिशेष क्षमता (रेंज)**
सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	शून्य
पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	***	0-10
पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	***	40-50
संबद्ध देश के उत्तरदाता उत्पादकों के लिए कुल	***	***	***	***	15-25%

95. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- पीटी एशिया पैसिफिक रेयन (एपीआर) के पास छोटी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। तथापि, एपीआर एक नया उत्पादक है जिसने वर्ष 2019 में उत्पादन शुरू किया है और इसलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह तुरंत 100% क्षमता उपयोग हासिल कर ले। एपीआर द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, वे अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं लेकिन यह क्षमता विस्तार वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ही होगा।
- पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के पास अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। तथापि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि वह नियमित रूप से 85% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रही है। कोविड-19 व्यवधानों के कारण जांच की अवधि के दौरान इसका क्षमता उपयोग कम था।
- सटेरी (फ़ुज़ियान) फ़ाइबर कं, लिमिटेड के पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है। सटेरी (फ़ुज़ियान) फ़ाइबर कंपनी लिमिटेड की अन्य संबद्ध कंपनियाँ हैं जो चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने

जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है। ऐसी संबद्ध कंपनियों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता, जैसा कि उनके अनुरोध में दर्शाया गया है, नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	**क्षमता (मी. टन)**	**उत्पादन (मी. टन)**	**क्षमता उपयोग (मी. टन)**	**अधिशेष क्षमता**	**अधिशेष क्षमता (रेंज)**
सटेरी (चीन) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
सटेरी (जियांग्सू) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	***	शून्य
सटेरी (जिउजियांग) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
सटेरी (जियांग्शी) केमिकल फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	***	शून्य

96. यह देखा जा सकता है कि चार संबद्ध कंपनियों में से केवल सटेरी (चीन) फाइबर कं, लिमिटेड के पास जांच की अवधि के दौरान अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं। तथापि, यह अनुरोध किया गया था कि जांच की अवधि के दौरान इसकी क्षमता कम थी क्योंकि उत्पादन की पहली खेप दिसंबर, 2019 के दौरान शुरू हुई थी और उत्पादन की दूसरी खेप अप्रैल, 2020 में शुरू हुई थी। इसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद स्थिर हो गया है और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है तथा जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि उसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद स्थिर हो गया और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।

97. **<u>जांच की अवधि के बाद की अवधि</u>**

<u>चीन जन. गण.</u>

सटेरी फ़ुज़ियान (फाइबर) कंपनी लिमिटेड

विवरण	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
कुल क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***

	प्रवृत्ति	100	96	99
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	96	99
अधिशेष क्षमता	%	शून्य	शून्य	शून्य
	रेंज	शून्य	शून्य	शून्य

सटेरी (चीन) फाइबर कंपनी लिमिटेड

विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)	यूनिट	1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021	1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022
क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	109	107
उत्पादन	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	107	110
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	94%	104
अधिशेष क्षमता	%	शून्य	5%	शून्य
रेंज %	प्रवृत्ति	शून्य	0-10	शून्य

सटेरी (जियांग्सु) फाइबर कं. लि.

विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)	यूनिट	1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021	1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022
क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	103	105
उत्पादन	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	102	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	98	95
अधिशेष क्षमता	मी. टन	शून्य	***	***
रेंज	%	शून्य	0-10	0-10

सटेरी (जियुजियांग) फाइबर कं. लि.

विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)	यूनिट	जांच की अवधि के बाद की अवधि (1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021)	जांच की अवधि के बाद की अवधि (1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021)	जांच की अवधि के बाद की अवधि (1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022)
क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	101
उत्पादन	मी. टन	***	***	***

	प्रवृत्ति	100	102	102
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	101
अधिशेष क्षमता	मी. टन	***	***	***
रेंज	%	0-10	0-10	0-10

सटेरी (जियांक्सि) केमिकल फाइबर कं. लि.

विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021)**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021)**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	103
उत्पादन	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	99	101
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	98	97
अधिशेष क्षमता	%	शून्य	शून्य	शून्य

98. यह देखा जा सकता है कि सटेरी फ़ुज़ियान (फाइबर) कंपनी लिमिटेड और सटेरी (चीन) फाइबर कंपनी लिमिटेड के पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है और सटेरी (जियांग्सू) फाइबर कंपनी लिमिटेड, सटेरी (जिउजियांग) फाइबर कं, लिमिटेड, और सटेरी (जियांग्सी) केमिकल फाइबर कं, लिमिटेड के पास जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी नगण्य अधिशेष क्षमता है।

<u>इंडोनेशिया</u>

<u>पीटी एशिया पेसिफिक रेयान</u>

विवरण	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
कुल क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	102	102
उत्पादन	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	95	112
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	93	104
अधिशेष क्षमता	%	***	***	***

	रेंज	0-10	0-10	शून्य

** इस अवधि में संयंत्र रखरखाव और उन्नयन के कारण उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ।*

<u>पीटी साउथ पेसिफिक विस्कोस</u>

विवरण	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
कुल क्षमता	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	110	107
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	110	107
अधिशेष क्षमता	%	***	***	***
	रेंज	10-20	0-10	5-15%

99. यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि के बाद की अवधि में पीटी एशिया पैसिफिक रेयन के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के पास कम अधिशेष क्षमता उपलब्ध है।

ज.3.7. न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव वाली कीमतों पर आयातों के प्रवेश की संभावना

क. कीमत कटौती

100. मूल्यह्रास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव वाली कीमतों पर आयात की संभावना का आकलन करने के लिए, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।

क्रम सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**जांच की अवधि**	अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021	अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022
1	**माल ढुलाई को छोड़कर शुद्ध बिक्री**	रु./मी. टन	***	***	***	***

	प्राप्ति					
2	**समग्र रूप में संबद्ध देश**					
क	पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,11,135	1,13,355	1,45,324	1,52,075
ख	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक

101. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि और अप्रैल-सितंबर, 2021 में कीमत कटौती नकारात्मक थी, लेकिन अक्तूबर, 2020-मार्च, 2021 और उसके बाद अक्तूबर, 2021-मार्च, 2022 में सकारात्मक थी।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

क्रम	**अवधि**	**पहुँच कीमत रु./मी. टन**	**प्रवृत्ति**	**बिक्रियों की लागत रु./मी. टन**	**प्रवृत्ति**	**माल ढुलाई को छोड़कर बिक्री कीमत रु./मी. टन**	**प्रवृत्ति**
1	2017-18	1,30,227	100	***	100	***	100
2	2018-19	1,40,253	108	***	104	***	103
3	2019-20	1,23,389	95	***	98	***	87
4	जांच की अवधि	1,11,135	85	***	89	***	78
5	छमाही-2 2020-21	1,13,355	87	***	84	***	84
6	छमाही-1 2021-22	1,45,324	112	***	103	***	102
7	छमाही-2 2021-22	1,52,075	117	***	133	***	112

102. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत सितंबर, 2021 तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थी। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत अक्तूबर, 2021-

सितंबर, 2022 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी।

ज.3.8. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर आयातों का प्रभाव

103. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री</u>

104. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्रम	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि (वार्षिक)	अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 (वार्षिक)
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	-	134
2	उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	-	122
3	उत्पादन - विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	-	118
4	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	-	91

5	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	-	129

105. यह देखा जा सकता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

ख. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई।

ग. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान थोड़ा कम हुआ है।

ख. <u>मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा</u>

क्रम	**विवरण**	**यूओएम**	**जांच की अवधि**	**अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021**	**अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021**	**अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022**
1	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	%	100	95	57	76
2	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	%	100	89	89	-
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	%	100	101	103	103

106. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निरंतर 95% अथवा उससे अधिक रहा है।

ग. <u>लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय</u>

107. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में की गई है।

क्रम	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि (वार्षिक)	अक्तूबर, 2020 से मार्च, 2021	अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	116	150
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	133	148
3	लाभ/हानि	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	408	125

108. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021 की जांच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके बाद, घरेलू उद्योग के लाभ में अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान गिरावट आई है।

क्रम	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि (वार्षिक)	अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022	अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 (वार्षिक)
1	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100			148
2	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100			140
3	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीब	100			156

		द्ध				

109. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के कुल लाभ, नकद लाभ और पीबीआईटी में अक्तूबर, 2020 से सितंबर, 2021 के दौरान वृद्धि हुई और उसके बाद अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में गिरावट आई।

ज.3.9. निर्यातोन्मुखता

110. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों की बिक्री सूचना की जांच की है।

<u>चीन जन. गण.</u>

सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद)	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	80-90%	80-90%	80-90%

111. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड की कुल बिक्री का ***% से अधिक घरेलू बाजार में है।

112. सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड के संबद्ध पक्षकारों की बिक्री निम्नानुसार नोट की जाती है:

सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां		90-100%	सम्पूर्ण	90-100%

सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां		90-100%	सम्पूर्ण	90-100%

सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**

बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	90-100%	सम्पूर्ण	90-100%

सटेरी (जियांक्सि) केमिकल फाइबर कं. लि.	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां		सम्पूर्ण	सम्पूर्ण	90-100%

113. यह देखा जा सकता है कि सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कंपनी लिमिटेड की संबद्ध कंपनियों की कुल बिक्री का 95% से अधिक घरेलू बाजार में है।

<u>इंडोनेशिया</u>

पीटी एशिया पेसिफिक	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020**	**1 अप्रैल, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021**

रेयन		से 31 मार्च, 2021	से 30 सितंबर, 2021	से 31 मार्च, 2022
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	40-50%	30-40%	45-55%

114. यह देखा जा सकता है कि कंपनी की कुल बिक्री में निर्यात बिक्री का हिस्सा काफी अधिक है।

पीटी साउथ पेसिफिक विस्कोस	**यूनिट**	**1 अक्तूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021**	**1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021**	**1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022**
बिक्री मात्रा (विचाराधीन उत्पाद):	मी. टन	***	***	***
(क) घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
(ख) निर्यात बिक्रियां - भारत	मी. टन	***	***	***
(ग) निर्यात बिक्रियां - अन्य देश	मी. टन	***	***	***
कुल बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	30-40%	20-30%	35-45%

115. यह देखा जा सकता है कि कंपनी की कुल बिक्री में निर्यात बिक्री का हिस्सा काफी अधिक है।

ज.3.10 तीसरे देश से पाटन

116. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	**अवधि**	**पाटित निर्यात मी. टन**	**तीसरे देशों को कुल निर्यात मी. टन**	**पाटित निर्यातों का हिस्सा**	**पाटित निर्यातों का हिस्सा (रेंज)**
चीन जन. गण.	जांच की अवधि	2,83,354	3,07,496	92%	90-100%
	छमाही-2 2020-21	81,839	2,00,877	41%	40-50%
	छमाही-1 2021-22	129	1,34,574	0%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	85,050	1,64,576	52%	45-55%
इंडोनेशिया	जांच की अवधि	3,02,560	3,23,081	94%	90-100%
	छमाही-2 2020-21	26,133	87,898	30%	25-35%
	छमाही-1 2021-22	3,258	1,99,375	2%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	1,59,996	1,89,798	84%	80-90%
संबद्ध देश	जांच की अवधि	5,85,914	6,30,577	93%	90-100%
	छमाही-2 2020-21	1,07,972	2,88,775	37%	25-35%
	छमाही-1 2021-22	3,387	3,33,949	1%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	2,45,046	3,54,374	69%	80-90%
भारतीय मांग	जांच की अवधि	***			
	छमाही-2 2020-21	***			

	छमाही-1 2021-22	***			
	छमाही-2 2021-22	***			

117. जांच की अवधि के दौरान उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

विवरण	**तीसरे देशों को कुल निर्यात (मी. टन)**	**पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात (मी. टन)**	**पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का %**	**पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का % (रेंज)**
सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	90-100
पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	80-90
पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी)	***	***	***	90-100

118. यह देखा जाता है कि शेष विश्व में पाटित निर्यातों का हिस्सा भारतीय मांग के लगभग बराबर है।

ज.3.11 तीसरे देश से क्षतिकारक निर्यात

119. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यात के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	**अवधि**	**क्षतिकारक निर्यात मी. टन**	**तीसरे देशों को कुल निर्यात मी. टन**	**क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा**	**क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा (रेंज)**
चीन जन. गण.	जांच की अवधि	2,09,696	3,07,496	68%	65-75%

	छमाही-2 2020-21	81,839	2,00,877	41%	35-45%
	छमाही-1 2021-22	916	1,34,574	1%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	1,56,138	1,64,576	95%	90-100%
इंडोनेशिया	जांच की अवधि	2,83,283	3,23,081	88%	85-95%
	छमाही-2 2020-21	17,032	87,898	19%	15-25%
	छमाही-1 2021-22	1,938	1,99,375	1%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	1,75,789	1,89,798	93%	90-100%
संबद्ध देश	जांच की अवधि	4,92,979	6,30,577	78%	85-95%
	छमाही-2 2020-21	98,871	2,88,775	34%	15-25%
	छमाही-1 2021-22	2,854	3,33,949	1%	0-10%
	छमाही-2 2021-22	3,31,927	3,54,374	94%	90-100%
मांग	जांच की अवधि	***			
	छमाही-2 2020-21	***			
	छमाही-1 2021-22	***			
	छमाही-2 2021-22	***			

120. उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

जांच की अवधि

विवरण	**तीसरे देशों को कुल निर्यात (मी. टन)**	**एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात (मी. टन)**	**एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का %**	**एनआईपी से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का % (रेंज)**
सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	***	***	***	50-60
पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	80-90
पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	80-90

जांच की अवधि के बाद की अवधि

क्रम	**विवरण**	**अवधि**	**क्षतिकारक निर्यात मी. टन**	**तीसरे देशों को कुल निर्यात मी. टन**	**क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा**	**क्षतिकारक निर्यात भारतीय मांग का %**
1	सटेरी (फुजियान) फाइबर कं. लि.	जांच की अवधि				
		छमाही-2 2020-21	***	***	35-45%	0-10%
		छमाही-1 2021-22	***	***	0-10%	0-10%
		छमाही-2 2021-22	***	***	25-35%	0-10%
2	पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	जांच की अवधि				
		छमाही-2 2020-21	***	***	70-80%	15-25%
		छमाही-1 2021-22	***	***	शून्य	शून्य
		छमाही-2 2021-22	***	***	100%	20-30%
3	पीटी.	जांच की अवधि				

	साउथ पेसिफिक विस्कोस	छमाही-2 2020-21	***	***	25-35%	0-10%
		छमाही-1 2021-22	***	***	शून्य	शून्य
		छमाही-2 2021-22	***	***	75-85%	15-25%

121. यह देखा जाता है कि शेष विश्व को क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा भारतीय मांग से अधिक है।

ज.3.12 कीमत आकर्षकता

121. उत्तरदाता उत्पादकों के मामले में जांच की अवधि के दौरान कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

जांच की अवधि

विवरण	**तीसरे देशों को कुल निर्यात (मी. टन)**	**भारत को निर्यात मूल्य से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात**	**भारत को निर्यात मूल्य से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का %**	**भारत को निर्यात मूल्य से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात का % (रेंज)**
सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कं, लिमिटेड	***	***	***	55-65
पीटी एशिया पेसिफिक रेयन	***	***	***	65-75
पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	***	***	***	85-95

122. जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए समग्र रूप से संबद्ध देशों से कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्रम	**विवरण**	**अवधि**	**निर्यात आकर्षकता मी. टन**	**तीसरे देशों को कुल निर्यात मी. टन**	**निर्यात आकर्षकता का हिस्सा**	**आकर्षक निर्यात मांग का %**
1	चीन जन. गण.	जांच की अवधि	2,04,391	3,07,496	66%	45-55%
		छमाही-2 2020-21	1,20,658	2,00,877	60%	50-60%
		छमाही-1 2021-22	37,452	1,34,574	28%	15-25%
		छमाही-2 2021-22	1,11,171	1,64,576	68%	40-50%
2	इंडोनेशिया	जांच की अवधि	2,78,851	3,23,081	86%	60-70%
		छमाही-1 2021-22	41,966	87,898	48%	15-25%
		छमाही-2 2021-22	73,862	1,99,375	37%	35-45%
		छमाही-2 2020-22	1,40,293	1,89,798	74%	50-60%
3	संबद्ध देश	जांच की अवधि	4,83,242	6,30,577	77%	110-120%
		छमाही-1 2021-22	1,62,624	2,88,775	56%	65-75%
		छमाही-2 2021-22	1,11,314	3,33,949	33%	55-65%
		छमाही-2 2020-22	2,51,464	3,54,374	71%	100-110%
4	मांग	जांच की अवधि	***			
		छमाही-1 2021-22	***			

		छमाही-2 2021-22	***			
		छमाही-2 2020-22	***			

123. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के आकर्षक निर्यात की सूचना नीचे दी गई है:

क्रम	**विवरण**	**अवधि**	**तीसरे देशों को निर्यात आकर्षकता मी. टन**	**तीसरे देशों को कुल निर्यात मी. टन**	**निर्यात आकर्षकता का हिस्सा**	**भारतीय मांग का निर्यात आकर्षकता %**
1	सटेरी (फ़ुज़ियान) फाइबर कं, लिमिटेड	छमाही-2 2020-21	***	***	55-65%	0-10%
		छमाही-1 2021-22	***	***	0-10%	0-10%
		छमाही-2 2021-22	***	***	10-20%	0-10%
2	पीटी एशिया पेसिफिक रेयन*	छमाही-2 2020-21	***	***	85-95%	20-30%
		छमाही-1 2021-22	***	***	55-65%	15-25%
		छमाही-2 2021-22	***	***	सम्पूर्ण	20-30%
3	पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस	छमाही-2 2020-21	***	***	35-45%	5-15%
		छमाही-1 2021-22	***	***	50-60%	10-20%
		छमाही-2 2021-22	***	***	40-50%	5-15%

123. यह देखा जाता है कि शेष विश्व को कीमत आकर्षक निर्यातों का हिस्सा भारतीय मांग से अधिक है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

124. प्रतिप्रेषण जांच के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. 2021-22 की चौथी तिमाही में तीसरे देशों को पातित, कीमत आकर्षक और क्षतिकारी निर्यातों पर विचार करते हुए, भारत को भेजे जाने की संभावना वाले निर्यातों की मात्रा भारतीय मांग से अधिक है।

ख. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखता है तो वह अपनी बिक्रियां और उत्पादन, क्षमता उपयोग को गंवा देगा और अन्ततः पैमाने की किफायतों के लाभ समाप्त हो जाएंगे और उसकी प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी जिससे घाटा होगा। यदि घरेलू उद्योग अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखता है तो उसे अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी और इस प्रकार निवेश पर नकारात्मक आय परिणामस्वरूप उसे घाटा उठाना पड़ेगा। इस तथ्य को देखते हुए, यह संभावित परिदृश्य है कि (क) संबद्ध देशों से आयात काफी अधिक बढ़ गए हैं और (ख) घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन इस अवधि में खराब रहा है।

ग. घरेलू उद्योग ने आईएनएमए के 48 सदस्यों से यह बताते हुए पत्र प्रस्तुत किया है कि अनुरोध करने से पहले उनके विचार नहीं मांगे गए थे और एसोसिएशन ने शुल्क का विरोध करने का निर्णय नहीं लिया था।

घ. यदि प्राधिकारी ने एसोसिएशन के दस्तावेज़ों की जांच की है कि तो उनसे पता चलेगा कि उन्होंने इस बात को सिद्ध किए बिना अनुरोध किए हैं कि वे वर्तमान प्रक्रिया से कैसे संगत हैं और इनमें से कुछ ऐसोसिएशन ने विस्कोस स्टेबल फाइबर से संबंधित भी नहीं हैं।

ड. डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (डीएमए), इंडियन टेक्सप्रेन्युअर्स फैडरेशन (आईटीएफ) और कन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई) ने प्रतिप्रेषण कार्यवाही से पहले निर्णायक जांच में भागीदारी भी नहीं की है।

च. प्राधिकारी ने पाया है कि इंडोनेशिया से प्रतिवादी उत्पादक काफी अप्रयुक्त क्षमता के बिना कार्य कर रहे हैं परंतु वे अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इस पर विचार करना चाहिए।

छ. इंडोनेशिया में उत्पादकों को अनेक लाभ मिलते हैं अर्थात् (क) कच्ची सामग्री स्थानीय रूप से कम कीमत पर उपलब्ध है और (ख) भारत आशियान एफटीए के कारण मूल सीमा शुल्क का लाभ।

ज. यह तथ्य कि आयात में वृद्धि हुई है क्योंकि शुल्क समाप्त हो गए हैं, साफ तौर पर सिद्ध करता है कि केवल पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तु के आयातों पर रोक लगी हुई है।

झ. जून, जुलाई और अगस्त (सर्वाधिक हाल की अवधि) में औसत मासिक आयात 5000 एमटी प्रति माह की रेंज में रहे हैं। यह मासिक उच्चतम ऐतिहासिक मात्रा है।

ञ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में 2021-22 के दौरान भारी गिरावट आई है। जून, जुलाई और अगस्त की अवधि जब आयात अधिकतम थे, में लाभप्रदत्ता भी बहुत कम थी।

ट. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग को किसी पाटनरोधी उपाय के लगने से पहले क्षति होनी चाहिए। वास्तव में, घरेलू उद्योग को हाल की अवधि में लाभ में भारी गिरावट का सामना करना पडा है।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वित्त वर्ष 2022 में उत्पादन लागत में वृद्धि संबंधी कोई अनुरोध क्षमता विस्तार के कारण गुमराह करने वाला है और उसे अस्वीकृत करना चाहिए क्योंकि उत्पादन लागत केवल घरेलू उद्योग के लिए नहीं बढ़ी है बल्कि थाइलैंड, इंडोनेशिया और चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए भी बढ़ी है।

ड. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी द्वारा पाया गया पाटन मार्जिन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से अधिक है। अत: शुल्क विस्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से उसी शुल्क को बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

ढ. जन हित की जांच एक व्यापक शब्द है और यह केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसके दायरे में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक भी आते हैं।

ण. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादन के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी।

त. यह उपभोक्ताओं के हित में हैं कि उनके पास एक प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग हो, जो उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।

थ. जन हित के पहलू की जांच करते समय घरेलू उद्योग द्वारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान की जांच करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

द. घरेलू उद्योग ने पिछले एक दशक में घरेलू बाजार के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है और डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि में 1200 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है।

ध. पल्प को छोड़कर घरेलू उद्योग अपनी समस्त कच्ची सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त करता है और इसलिए घरेलू उद्योग के विकास से अपस्ट्रीम उद्योग का विकास होगा।

न. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए स्थापित कारखानों में 40,000 से अधिक लोग (कर्मचारियों/कामगारों और संविदागत जनशक्ति सहित) नियोजित हैं।

प. जब घरेलू उद्योग वांछित मात्राओं और गुणवत्ता में समान वस्तु की आपूर्ति कर रहा है तो प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है।

फ. घरेलू उद्योग ने और अधिक विस्तार किया है और अब उसकी क्षमता 7,92,750 एमटी है। विस्कोस स्टैपल फाइबर की मांग (वर्तमान उत्पाद के गैर-विचाराधीन उत्पाद की मांग को शामिल करने के बाद भी) कभी भी 6,25,000 एमटी से अधिक नहीं रही है।

125. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन और क्षमता के गोपनीय होने का दावा किया है परंतु प्रतिवादियों से उनके आंकड़ों के प्रकटन की मांग की है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन का प्रति-सत्यापन नहीं किया था।

ख. घरेलू उद्योग थाइलैंड में संबंधित कंपनी केनिंगटन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में वीएसएफ की भारी मात्रा का निर्यात कर रहा है।

ग. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है, जबकि बिक्री लागत में गिरावट आई है। शुल्क और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई प्रासंगिकता नहीं है।

घ. अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई 44,662 एमटी की आयात मात्रा में गैर-विचाराधीन उत्पाद भी शामिल हैं। एचएसकोड 55041010 के लिए डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आयात केवल 631 एमटीएस की रेंज में थे और 55041090 के अन्तर्गत आयात गैर-पीयूसी के थे।

ड. उसी अवधि के दौरान थाइलैंड से आयातों में चार गुना वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग संबंधित पक्षकार से आयात कर रहा है।

च. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में विरोधाभासी बयान दिए हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वीएसएफ उद्योग 14 प्रतिशत सीजीएआर की वृद्धि नहीं करेगा।

छ. भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है। प्रयोक्ता केवल घरेलू उद्योग पर आश्रित हैं।

ज. घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग को उनके समर्थन में बयान देने के लिए धमकी देकर अपने वर्चस्व की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग के पास यह दर्शाने के लिए समर्थक आंकड़े या साक्ष्य नहीं हैं कि उसे क्षति हो रही है।

झ. एसोसिएशन के अनेक सदस्यों ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे बयान देने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि वे घरेलू उद्योग से अपनी आपूर्तियां जारी रखने को लेकर अपने व्यापार को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।

ञ. डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार एसएसआर जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 12 महीने की है। इसके अलावा, धारा 9क के अनुसार, यह प्रतिबंध है कि समीक्षा 12 महीनों से अधिक नहीं हो सकती है। चूंकि जांच विहित समय-सीमा से अधिक अवधि की हो गई है, इसलिए डीजीटीआर को जांच समाप्त करनी चाहिए।

ट. डीजीटीआर ने पाया था कि घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ में है। जांच अवधि के बाद लाभ में गिरावट क्षमता में विस्तार के कारण हुई है।

ठ. भारतीय बाजार में कोई कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री या कीमत ह्रास नहीं हुआ था। इंडोनेशिया से उत्पादक पाटन नहीं कर रहे हैं और डीजीटीआर ने भी यही पाया था।

ड. यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कीमत आकर्षकता के कारण आयातों के प्रवाह में वृद्धि होगी।

ढ. घरेलू उद्योग क्षति का दावा करने के लिए जानबूझकर बाजार दर से 10 प्रतिशत कम पर उत्पाद को बेच रहा है। व्यक्तिगत रूप से डीजीटीआर से मिलने वाले प्रयोक्ताओं ने इसे वास्तविक रूप से अधिक कीमत पर पुन: बेचा है।

ण. बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद, प्राधिकारी ने एसपीवी से संबंधित आंकड़ों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

त. वर्तमान जांच को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और प्राधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं करने चाहिएं।

थ. प्राधिकारी से पुन: मौखिक सुनवाई करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि पहले हुई मौखिक सुनवाई में जांच अवधि के बाद के बाद के आंकड़ों की प्रतीक्षा नहीं की गई थी।

द. संबद्ध देशों से आयातों में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि की तुलना में जांच अवधि के पश्चात भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से गिरावट आई है।

ध. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में अप्रैल से जून, 2022 की अवधि में आयातों से संबंधित कोई अनुरोध नहीं किया है। ये अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का अगोपनीय अंश प्रदान किए बिना किए गए थे।

न. घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में गिरावट के दावे के लिए अप्रैल-जुलाई, 2022 की अवधि पर भरोसा नहीं किया है, जबकि केवल उसी अवधि के दौरान आयात मात्राओं पर भरोसा किया है।

प. जांच के पश्चात की अवधि में निरंतर कीमत कटौती नहीं हुई है और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

फ. यह बताया जाता है कि पहुंच कीमत जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। यदि इन दोनों में तत्पश्चात एकसाथ वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ है कि आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

ब. अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 की जांच पश्चात अवधि में बिक्री लागत, ब्याज लागत और मूल्य ह्रास में भारी वृद्धि हुर्ह है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 34 प्रतिशत वृद्धि की है।

भ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा संपूर्ण जांच अवधि के दौरान लगातार 92 प्रतिशत से अधिक बना रहा है।

म. यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता एक दूसरे के लिए प्रयोग की जा सकती है, इन क्षमताओं को शामिल करने को उचित ठहराने का संगत कारक नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उत्पादक/निर्यातक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे।

य. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि तीसरे पक्ष की रिपोर्टों में प्रदत्त अनुमानित अतिरिक्त क्षमता भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त वास्तविक सूचना की तुलना में विश्वसनीय है।

कक. हॉकिन्स राइट की सितंबर 2020 की रिपोर्ट और वुड मैकेंजी की रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। अत: यह दावा भी नहीं किया जा सकता है कि 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता के संबंध में प्रदत्त समस्त सूचना वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

खख. यह तथ्य कि जांच अवधि पश्चात के दौरान भारत को एशिया पैसिफिक रेयोन द्वारा वास्तविक निर्यात काफी कम हैं, दर्शाता है कि घरेलू बिक्रियां और तीसरे देशों को निर्यात वरीयता वाले बाजार हैं।

गग. जांच अवधि के बाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षतिरहित कीमत पर प्राधिकारी द्वारा ऐसे दावे के सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है।

घघ. तीसरे देशों को एशिया पैसिफिक रेयोन द्वारा निर्यातों का वास्तविक हिस्सा जांच अवधि के बाद के दौरान भारत को निर्यात कीमत से कम पर है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यातों के प्रतिशत हिस्से से काफी कम है।

ङ.ङ. कीमत आकर्षकता की जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को वास्तविक आयात भारत को तीसरे देशों से निर्यातों में बदलाव की संभावना को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध है।

चच. एशिया पैसिफिक रेयोन अपनी स्थापित बाजार मौजूदगी और तीसरे देशों में उपभोक्ता आधार को केवल इसलिए नहीं गंवाएगा कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है।

छछ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड जांच अवधि के बाद सुधार दर्शाते हैं।

जज. जांच अवधि के बाद की अवधि में एशिया पैसिफिक रेयोन और सतेरी फ्युजियान के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। पाटन और क्षति की संभावना की गैर-मौजूदगी इस तथ्य से सिद्ध होती है कि संबद्ध देशों से निर्यात किसी अन्य देश में पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं है।

झझ. यदि शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाती है तो सतेरी फ्युजियान और एशिया पैसिफिक रेयोन को शुल्क की शून्य दर देनी चाहिए क्योंकि उनका क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। इसके विकल्प में पहली निर्णायक समीक्षा में उत्पादकों को प्रदत्त न्यूनतम शुल्क को इन उत्पादकों को दिया जाना चाहिए।

ठ.1 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

126. यह देखा गया है कि प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का केवल दोहराव है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करते समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की पहले ही जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो पहले किए गए अनुरोधों का दोहराव मात्र हैं, को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे अनुरोध जिनकी प्राधिकारी द्वारा पहले जांच नहीं की गई है, पर नीचे ध्यान दिया गया है।

127. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता क्षमता विस्तार के कारण प्रभावित हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने सभी संगत कारकों पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच की है। अक्तूबर, 2021 से मार्च 2022 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट संभावना जांच में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया एकमात्र आधार नहीं है।

128. इस तर्क के संबंध में कि अप्रैल से जुलाई, 2022 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों में गैर-विचाराधीन उत्पाद के आंकड़े भी शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मार्च, 2022 के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है क्योंकि मार्च, 2022 के बाद की अवधि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई 18 महीने की पीओआई पश्चात अवधि में शामिल नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी पीओआई पश्चात अवधि के निरंतर विस्तार की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे अंतहीन कार्यवाही हो जाएगी और प्रति-प्रेषण जांच समय पर समाप्त नहीं हो पाएगी।

129. इस दावे के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा पीओआई के बाद की अवधि में कम हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा समग्र रूप से काफी अधिक है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अक्तूबर, 2021 से

मार्च, 2022 की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि भी हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान काफी कम रहे हैं।

130. यह दलील दी गई है कि विदेशी उत्पादकों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचित क्षमताओं में गैर-विचाराधीन उत्पाद की क्षमताएं भी शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इंडोनेशिया से आयातों के कारण क्षति की संभावना की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त अत्यधिक क्षमता संबंधी वास्तविक सूचना पर विचार किया है।

131. इस दावे के संबंध में कि इंडोनेशिया में प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर भी आयातों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की काफी मात्रा का इंडोनेशिया से उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा, तीसरे देशों को काफी निर्यात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जो भारत को निर्यात कीमत से कम हैं। तीसरे देशों को कमतर निर्यात-कीमत को देखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि भारत, इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है और निर्यातक तीसरे देशों के निर्यातों को भारतीय बाजार में बेच सकते हैं।

132. इस अनुरोध के संबंध में कि सेस्टेट के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका के निपटान तक अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं किए जा सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रति-प्रेषण कार्यवाही पर स्टे नहीं दिया है।

133. एपीआर के इस अनुरोध के संबंध में कि तीसरे देशों के कीमत आकर्षक निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा प्राधिकारी द्वारा गलत ढंग से विश्लेषित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने त्रुटियों में सुधार किया है और तद्नुसार सूचना संशोधित की है।

134. इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई पश्चात अवधि के दौरान तीसरे देशों को क्षतिकारी निर्यातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीओआई पश्चात अवधि के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने

अंतिम जांच परिणाम में पीओआई पश्चात अवधि के दौरान तीसरे देशों को क्षतिकारी निर्यातों पर भरोसा नहीं किया है।

ड. जन हित

135. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. जन हित की जांच एक व्यापक शब्द है और यह केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसके दायरे में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक भी आते हैं।

ख. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादन के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी।

ग. यह उपभोक्ताओं के हित में हैं कि उनके पास एक प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग हो, जो उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।

घ. जन हित के पहलू की जांच करते समय घरेलू उद्योग द्वारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान की जांच करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ड.. घरेलू उद्योग ने पिछले एक दशक में घरेलू बाजार के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है और डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि में 1200 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है।

च. पल्प को छोड़कर घरेलू उद्योग अपनी समस्त कच्ची सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त करता है और इसलिए घरेलू उद्योग के विकास से अपस्ट्रीम उद्योग का विकास होगा।

छ. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए स्थापित कारखानों में 40, 000 से अधिक लोग (कर्मचारियों/कामगारों और संविदागत जनशक्ति सहित) नियोजित हैं।

ज. जब घरेलू उद्योग वांछित मात्राओं और गुणवत्ता में समान वस्तु की आपूर्ति कर रहा है तो प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है।

झ. घरेलू उद्योग ने और अधिक विस्तार किया है और अब उसकी क्षमता 7,92,750 एमटी है। विस्कोस स्टैपल फाइबर की मांग (वर्तमान उत्पाद के गैर-विचाराधीन उत्पाद की मांग को शामिल करने के बाद भी) कभी भी 6,25,000 एमटी से अधिक नहीं रही है।

ञ. खपत में वृद्धि सकारात्मक रही है और पाटनरोधी शुल्क अवधि के दौरान काफी अधिक है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि फाइबर और यार्न की वृद्धि इस शुल्क के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

ट. स्पिंडल्स की संख्या में 1.5 मिलियन से शुल्क अवधि के दौरान 4 मिलियन तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग के पास पूर्व में मुराटा वार्टेक्स स्पिनिंग मशीनें नहीं थी, जो अब हाल की अवधि में बढ़कर 520 हो गई हैं।

ठ. फाइबर की खपत में फाइबर की कीमत में भारी वृद्धि के बावजूद काफी वृद्धि हुई है और फाइबर कीमत में गिरावट के बावजूद गिरावट आई है जिससे कोई सह-संबंध प्रदर्शित नहीं होता है।

ड. कपड़े की अंतिम कीमत में विस्कोस का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.25 प्रतिशत से कम है।

ढ. ग्रासिम ने न केवल क्षमता वृद्धि में निरंतर निवेश किया है बल्कि उत्पाद और कौशल विकास में 1200 करोड़ रु. से अधिक का भारी निवेश किया है, जिसका लाभ स्पिनर्स सहित डाउनस्ट्रीम उद्योग को मिला है। स्पिनर्स की एमएसएमई प्रकृति को देखते हुए, वे ये प्रयास कर सकते थे। अन्य के साथ-साथ ये प्रयास यार्न उद्योग की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

ण. ग्रासिम की क्षमता में कौशल विकास पर 1200 करोड़ रु. के निवेश के अलावा 7,187 करोड़ रु. के संचयी निवेश के ज़रिए 2010-11 में 3,33,975 एमटी से वर्तमान में 8,10,000 एमटी की वृद्धि हुई है।

त. यदि यार्न के आयातों में वृद्धि के लिए पाटनरोधी शुल्क कारण होता तो शुल्क समाप्ति से यार्न के आयातों में गिरावट आई होती। तथापि यार्न के आयातों में वृद्धि हुई है।

थ. जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अधीन था तो यार्न के आयात काफी सीमित थे। अब जबकि उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अधीन है तो यार्न के आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

136. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. यद्यपि शुल्क लागू था, तथापि केवल घरेलू उद्योग दो अंकीय मार्जिन अर्जित कर रहा था, जबकि उनके उपभोक्ता और बाद की मूल्य श्रृंखला को 5 प्रतिशत का भी पीबीआईटी अर्जित करना मुश्किल था।

ख. वीएसएफ पर शुल्क की समापति से प्रयोक्ता उद्योग को भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वीएसएफ की उपलब्धता का निश्चित रूप से लाभ मिला है।

ग. वीएसवाई आयातों में वृद्धि होगी और यदि वीएसएफ पर शुल्क जारी रहता है तो आगामी वर्षों में वीएसवाई के निर्यातों में कमी आएगी।

घ. शुल्क से पूरी मूल्य श्रृंखला अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी क्योंकि उससे भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में भारी गड़बड़ी हो जाएगी।

ड. घरेलू उद्योग नाम मात्र की कीमत पर प्रीमियम प्रभारित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग कर रहा है। जैसा सीसीआई निष्कर्षों से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग ने स्वयं माना है कि वह प्रचलित बाजार कीमतों पर 3 प्रतिशत तक प्रीमियम प्रभारित करता है।

च. घरेलू उद्योग अब भी न केवल प्रयोक्ता उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए अपनी वर्चस्व की स्थिति का प्रयोग कर रहा है बल्कि वीएसएफ आधारित मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण निष्पादन को भी प्रभावित करता है।

छ. घरेलू उद्योग को 11 वर्षों के लिए वीएसएफ पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क का लाभ मिला है। घरेलू उत्पादकों ने शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग और मूल्य श्रृंखला की कीमत पर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए केवल एक साधन के रूप में प्रयोग किया है।

ज. शुल्क लगाने से आयातित फाइबर की लागत में वृद्धि हो जाएगी और कोई उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने का स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इससे उनके अंतिम उत्पाद की लागत/कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

झ. लगभग 2 लाख पावरलूम पिछले दो तीन वर्षों के दौरान कपास से विस्कोस फैब्रिक विनिर्माण में बदल गए हैं और ये इकाईयां कम आपूर्ति और घरेलू बाजार में उच्च लागत के कारण आयात कर रही हैं। वीएसएफ पर शुल्क हटाने से फैब्रिक विनिर्माता तबके को घरेलू बाजार से प्रतिस्पर्धी दर पर वीएसएफ स्पन यार्न मिल सकता है।

ञ. यह उद्योग प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 मिलियन स्पिंडल्स जोड़ रहा है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कीमत पर फाइबर की अनुपलब्धता सहित अनेक कारणों की वजह से लगभग 9 मिलियन स्पिंडल्स अप्रयुक्त हैं।

ट. भारत को लक्ष्य पूरा करने के लिए लगभग 20 बिलियन किग्रा. फाइबर की आवश्यकता है जबकि वर्तमान उत्पादन लगभग 10 बिलियन किग्रा. (6.5 बिलियन किग्रा. कपास और 3.5 बिलियन किग्रा. एमएमएफ) है। चूंकि कपास उत्पादन में वृद्धि की संभावना सीमित है, इसलिए परिकल्पित लक्ष्य को केवल एमएमएफ उत्पादन क्षमता में तीन से चार गुना वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है, जो लागू शुल्क के कारण इस समय बिल्कुल असंभव लगता है।

ड.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या शुल्क को जारी रखने से जन हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षों के हितों पर विचार किया है।

138. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने

प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना देने के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। प्रयोक्ता द्वारा यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि पहले लागू शुल्क से प्रयोक्ताओं या व्यापक रूप से उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क पिछले 10 वर्षों से लागू है और संबद्ध देश से आयात होना जारी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार के लिए कुल 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है। अतः, शुल्क जारी रखने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

140. यह स्वीकार किया जाता है कि शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि अंतिम उत्पाद की कीमत पर विस्कोस स्टैपल फाइबर का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव केवल 0.25 प्रतिशत के लगभग होगा। यह तथ्य कि विस्कोस स्पन यार्न का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है, प्रयोक्ता उद्योग ने भी स्वीकार किया है। अतः, यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार से अंतिम उत्पादों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

141. यह भी दलील दी गई है कि भारत बाजार में मांग और आपूर्ति में अंतर है, जिससे प्रयोक्ता आयात करने को बाध्य हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमताएं देश में मांग से काफी अधिक हैं। अतः, यह तर्क कि आयात मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण हो रहे हैं, स्वीकार्य नहीं हैं। किसी भी तरह, मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

142. यह भी दलील दी गई है कि पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से विस्कोस स्पन यार्न के आयातों में वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद विस्कोस स्पन यार्न के आयातों में वृद्धि हुई है ।

143. इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. <u>निष्कर्ष</u>

144. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना और अनुरोधों, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और पाटन की पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना के संबंध में ऊपर यथा अभिलिखित निर्णय में माननीय सेस्टेट की समुक्तियों और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संभावना संबंधी कारकों की जांच की है।

145. चूंकि माननीय सेस्टेट ने जांच परिणाम को केवल यह जांच करने के लिए प्रति-प्रेषित किया है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए दिनांक 31.07.2021 के अंतिम जांच परिणाम में जांचे गए सभी अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों की पुष्टि की जाती है।

146. घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है।

ख. घरेलू उद्योग का निष्पादन पीओआई के दौरान तथा पीओआई पश्चात अवधि में भी स्थिर रहा था।

ग. नीचे नोट की गई रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना इंडोनेशिया से आयातों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को दर्शाती है।

i. इंडोनेशिया से आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान काफी अधिक बने रहे हैं।

ii. इंडोनेशिया से सभी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात बाजार में भारी बिक्रियां की गई हैं। यह दर्शाता है कि इंडोनेशिया में उत्पादक/निर्यातक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं और अपनी क्षमता के इष्टम उपयोग के लिए निर्यातों पर निर्भर हैं।

iii. इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को काफी निर्यात किए गए हैं। अतः, भारत इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को तीसरे देशों से निर्यातों के विपथन की संभावना है।

ङ. नीचे नोट की गई रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाती है।

i. चीन जन.गण. से आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के पश्चात अवधि सहित पिछले 10 वर्षों के दौरान काफी कम बने हुए हैं।

ii. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में चीन जन.गण. से आयातों का हिस्सा क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत से कम रहा है।

iii. चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक रही है और पीओआई के दौरान इंडोनेशिया से आयातों की पहुंच कीमत से भी अधिक रही है।

iv. चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं।

v. चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों, जो चीन जन.गण. में कुल क्षमता के लगभग 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।

vi. चीन जन.गण. में भागीदार उत्पादक/निर्यातक, निर्यातोन्मुख नहीं हैं और चीन जन.गण. में भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां घरेलू बाजार में की गई हैं।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्धारक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का व्यवहार चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के व्यवहार से अलग होगा।

147. माननीय अधिकरण ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया था कि पाटनरोधी शुल्क को बंद किए जाने से संबंधित निष्कर्ष अधिशेष क्षमताओं की गैर-मौजूदगी के आधार पर ही नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह उल्लेख किया था कि प्राधिकारी का विश्लेषण उस हद तक गलत निर्देशित था जहां तक उन्होंने प्रतिभागी उत्पादकों की भी अधिशेष क्षमताओं के संबंध में विश्लेषण प्रतिबंधित किया।

148. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखे जाने के संबंध में नकारात्मक विश्लेषण उस समय प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के आधार पर दिनांक 31.07.2021 के पूर्व के अंतिम जांच परिणामों में निकाला गया था। दिनांक 31.07.2021 के उपर्युक्त जांच परिणामों के दौरान प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों ने यह दर्शाया कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पिछले वित्तीय दो वित्तीय वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कम हुई थी।

149. माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसरण में, पहले से ही मौजूद आंकड़ों और उसके बाद अक्तूबर, 2022 तक जांच की अवधि के आंकड़ों के बाद की जांच के आधार पर संभावना के निर्धारण के संबंध में पुन: विचार किया गया था, जिसमें वह अवधि शामिल है जिस अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।

संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के जांच की अवधि के बाद आयात

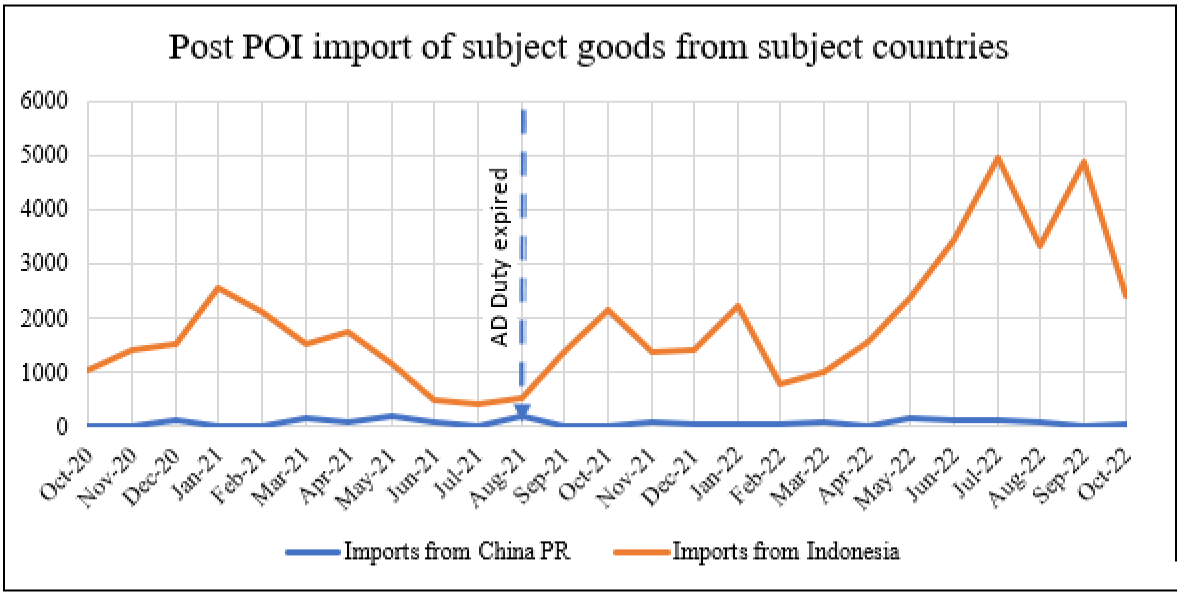

-चीन जन.गण से आयात -इंडोनेशिया से आयात

150. उपर्युक्त ग्राफ से, जैसा कि सिद्ध है चीन जन.गण. से जांच की अवधि के बाद के आयात काफी कम रहे हैं, यहां तक कि जब पाटनरोधी शुल्क अगस्त, 2021 के बाद से लागू नहीं थे।

151. माननीय अधिकरण ने अपने दिनांक 19.05.2022 के आदेश में नोट किया था कि मैसर्स सटेरी की अकेले ही क्षमता भारतीय मांग के 4.90 गुणा है। इस तथ्य को मानते हुए कि सटेरी का अपना हिस्सा भारतीय मांग के 4.90 गुणा इस तथ्य के साथ है कि चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादक/निर्यातक हैं जिन्होंने संबद्ध जांच में सहयोग नहीं किया और जो शुल्क लागू न होने की स्थिति में एक बार निर्यात कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उस अवधि के लिए आयात आंकड़ों का परिदृश्य जब पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, चीन जन.गण. से आयात आंकड़ों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा सकता है। तथापि, स्थिति विप्रयास की है और बहुत ही कम आयात हैं अथवा आयात उसी प्रवृत्ति में हैं जैसे कि चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्क लागू न होने के बावजूद जांच की अवधि में थे और इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना कि यदि चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं तो पाटन और क्षति की संभावना है, बड़ी संभावना होगी अथवा इसकी अपेक्षा उस पर एक सुदूर संभावना होगी जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता, जैसा

कि माननीय न्यायालय द्वारा और यहां तक कि डब्ल्यूटीओ द्वारा कई मामले में माना गया है।

152. तथापि, इंडोनेशिया के मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इंडोनेशिया से आयात अगस्त, 2021 में शुल्क की समाप्ति के बाद तेजी से बढ़ते रहे हैं। वास्तव में, जुलाई, 2022 में आयात, उन पिछले 4 वर्षों से सबसे अधिक थे जब मासिक आधार पर तुलना की जाए।

153. इंडोनेशिया से जांच की अवधि के बाद में वृद्धि को वर्तमान जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए अनुसार संभावना के कारकों के साथ सह-संबद्ध नहीं किया जा सकता और इसीलिए हाल की अवधि के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़ों से ली गई स्थिति के अनुसार वर्तमान स्थिति यह तथ्य सिद्ध करती है कि प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए अनुसार अधिशेष क्षमता, निर्यातोन्मुखता तथा अन्य कारकों को देखते हुए, यदि इंडोनेशिया के विरुद्ध आयातों के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं तो पाटन और क्षति की पूरी संभावना है।

ण. सिफारिश

154. उपायों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के बाद प्राधिकारी इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। तथापि, चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं की जाती है।

155. इस प्रकार, प्राधिकारी, इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 3 में यथा-वर्णित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

<u>**शुल्क तालिका**</u>

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	55041010 55041090	विस्कोस स्टैपल फाइबर*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस	0.103	कि.ग्रा.	अम. डॉ.
2	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	पीटी एशिया पैसिफिक रेयोन	0.512	कि.ग्रा.	अम. डॉ.
3	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित के अलावा कोई उत्पादक	0.512	कि.ग्रा.	अम. डॉ.
4	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया के अलावा कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	0.512	कि.ग्रा.	अम. डॉ.

**विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बैम्बू फाइबर, मॉडल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, अग्निरोधी फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेंसल फाइबर (या लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर शामिल नहीं हैं।*

156. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क,8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार से सीमा शुल्क शामिल हैं।

त. **<u>आगे की प्रक्रिया</u>**

157. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)